Qasam Ke Baare Mein Madani Phool (Hindi)

क़सम के बारे में म-दनी फूल

शैख़े तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल

मुहम्मद इल्यास अत्तार क़ादिरी रज़वी

مکتبۃ المدینہ
(دعوت اسلامی)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** र-ज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

दीनी किताब या इस्लामी सबक़ पढ़ने से पहले ज़ैल में दी हुई दुआ पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ येह है :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

तरजमा : ऐ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इल्मो हिक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ़-ज़मत और बुज़ुर्गी वाले। (المُستطرَف ج١ص٤٠ دارالفكر بيروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये।

त़ालिबे ग़मे मदीना
व बक़ीअ़
व मग़्फ़िरत

13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

(क़सम के बारे में म-दनी फूल)

येह रिसाला **(क़सम के बारे में म-दनी फूल)**

शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** र-ज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ने **उर्दू** ज़बान में तह़रीर फ़रमाया है।

मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को **हिन्दी** रस्मुल ख़त़ में तरतीब दे कर पेश किया है और मक-त-बतुल मदीना से शाएअ़ करवाया है। इस में अगर किसी जगह कमी बेशी पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज़रीअ़ए मक्तूब, ई-मेइल या SMS) मुत्त़लअ़ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

राबित़ा : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)

मक-त-बतुल मदीना

सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने, तीन दरवाज़ा, अह़मदआबाद-1, गुजरात
MO. 9374031409 E-mail : translationmaktabhind@dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

क़सम के बारे में म-दनी फूल

शैत़ान लाख सुस्ती दिलाए मगर आप येह रिसाला (42 सफ़ह़ात) मुकम्मल पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ आप को मुफ़ीद तरीन मा'लूमात मिलेंगी

फ़िरिश्ते आमीन कहते हैं

ह़ज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ से मरवी है के **सरकारे मदीनए मुनव्वरह**, सरदारे **मक्कए मुकर्रमा** صَلَّى اللّٰه تَعَالٰی عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने अ़-ज़मत निशान है **: अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ के कुछ सय्याह़ (या'नी सैर करने वाले) फ़िरिश्ते हैं, जब वोह मह़ाफ़िले **ज़िक्र** के पास से गुज़रते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं **:** (यहां) बैठो । जब ज़ाकिरीन (या'नी ज़िक्र करने वाले) दुआ़ मांगते हैं तो फ़िरिश्ते उन की दुआ़ पर **आमीन** (या'नी ''ऐसा ही हो'') कहते हैं । जब वोह नबी पर **दुरूद** भेजते हैं तो वोह फ़िरिश्ते भी उन के साथ मिल कर **दुरूद** भेजते हैं ह़त्ता कि वोह **मुन्तशिर** (या'नी इधर उधर) हो जाते हैं, फिर फ़िरिश्ते एक दूसरे को कहते हैं कि इन ख़ुश नसीबों के लिये ख़ुश ख़बरी है कि वोह **मग़्फ़िरत** के साथ वापस जा रहे हैं ।

(جَمْعُ الْجَوامِع لِلسُّيُوطی ج۳ص۱۲۵ حدیث۷۷۵۰)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

مدینہ

★...... शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार** क़ादिरी र-ज़वी ज़ियाई دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه की तस्नीफ़ **''नेकी की दा'वत''** (ह़िस्सए अव्वल) सफ़ह़ा 161 पर **''क़सम के बारे में म-दनी फूल''** मौजूद हैं, इफ़ादियत के पेशे नज़र रिसाले की सूरत में भी शाएअ़ किये जा रहे हैं । **मजलिसे मक-त-बतुल मदीना**

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! आज कल कसीर लोगों का बात बात पर क़समें खाने की त़रफ़ रुजह़ान देखा जा रहा है, बारहा झूटी क़सम भी खा ली जाती है, न तौबा का शुऊ़र न कफ़्फ़ारा देने की कोई शुदबुद, लिहाज़ा उम्मत की ख़ैर ख़्वाही का सवाब कमाने की ह़िर्स के सबब बत़ौरे **नेकी की दा'वत** क़दरे तफ़्सील के साथ **क़सम** और इस के **कफ़्फ़ारे** के बारे में **म-दनी फूल** पेश करता हूं, क़बूल फ़रमाइये । इस का अज़् इब्तिदा ता इन्तिहा मुत़ा-लआ़ या बा'ज़् इस्लामी भाइयों का मिल बैठ कर दर्स देना सिर्फ़ मुफ़ीद ही नहीं, اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ मुफ़ीद तरीन साबित होगा ।

क़सम की ता'रीफ़

क़सम को अ़-रबी ज़बान में "**यमीन**" कहते हैं जिस का मत़लब है : "दाहिनी (या'नी सीधी) जानिब", चूंकि अहले अ़रब उ़मूमन **क़सम** खाते या क़सम लेते वक़्त एक दूसरे से दाहिना (या'नी सीधा) हाथ मिलाते थे इस लिये **क़सम** को "यमीन" कहने लगे, या फिर **यमीन** "**युम्न**" से बना है जिस के मा'ना हैं "ब-र-कत व कुव्वत", चूंकि क़सम में **अल्लाह** तआ़ला का बा ब-र-कत नाम भी लेते हैं और इस से अपने कलाम को कुव्वत देते हैं इस लिये इसे **यमीन** कहते हैं या'नी ब-र-कत व कुव्वत वाली गुफ़्त-गू । (मुलख़्ख़स अज़् मिरआतुल मनाजीह़, जि. 5, स. 94) शर-ई ए'तिबार से **क़सम** उस अ़क़्द (या'नी अ़ह्दो पैमां) को कहते हैं जिस के ज़रीए़ क़सम खाने वाला किसी काम के करने या न करने का पुख़्ता (पक्का) इरादा करता है । (دُرِّمُختار ج٥ ص٤٨٨) म-सलन किसी ने यूं कहा : "**अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की क़सम ! मैं कल तुम्हारा सारा क़र्ज़ अदा कर दूंगा" तो येह **क़सम** है ।

क़सम की तीन अक़्साम

क़सम तीन त़रह़ की होती है : (1) लग़्व (2) ग़मूस (3) मुन्अ़क़िदा।

﴾1﴿ **लग़्व** येह है कि किसी गुज़रे हुए या मौजूदा अम्र (या'नी मुआ़-मले) पर अपने ख़याल में (या'नी ग़लत़ फ़हमी की वजह से) सह़ीह़ जान कर **क़सम** खाए और दर ह़क़ीक़त वोह बात उस के ख़िलाफ़ (या'नी उलट) हो, म-सलन किसी ने क़सम खाई : "**अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की क़सम ! ज़ैद घर पर नहीं है" और इस की मा'लूमात में येही था कि ज़ैद घर पर नहीं है और इस ने अपने गुमान में सच्ची क़सम खाई थी मगर ह़क़ीक़त में ज़ैद घर पर था तो येह क़सम "लग़्व" कहलाएगी, येह मुआ़फ़ है और इस पर कफ़्फ़ारा नहीं ﴾2﴿ **ग़मूस** येह है कि किसी गुज़रे हुए या मौजूदा अम्र (या'नी मुआ़-मले) पर दानिस्ता (या'नी जान बूझ कर) झूटी क़सम खाए म-सलन किसी ने क़सम खाई : "**अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की क़सम ! ज़ैद घर पर है," और वोह जानता है कि ह़क़ीक़त में ज़ैद घर पर नहीं है तो येह क़सम "ग़मूस" कहलाएगी और क़सम खाने वाला सख़्त गुनहगार हुवा, इस्तिग़्फ़ार व तौबा फ़र्ज़ है मगर कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं ﴾3﴿ **मुन्अ़क़िदा** येह है कि आयन्दा के लिये क़सम खाई म-सलन यूं कहा : "रब عَزَّوَجَلَّ की क़सम ! मैं कल तुम्हारे घर ज़रूर आऊंगा।" मगर दूसरे दिन न आया तो **क़सम** टूट गई, उसे **कफ़्फ़ारा** देना पड़ेगा और बा'ज़ सूरतों में गुनहगार भी होगा।

(فتاوٰی عالمگیری ج۲ص۵۲)

ख़ुलासा येह हुवा कि क़सम खाने वाला किसी गुज़री हुई या मौजूदा बात के बारे में क़सम खाएगा तो वोह या तो सच्चा होगा या फिर

झूटा, अगर सच्चा होगा तो कोई ह़रज नहीं और अगर झूटा होगा तो उस ने वोह क़सम अपने ख़याल के मुत़ाबिक़ अगर सच्ची खाई थी तो अब भी ह़रज नहीं या'नी गुनाह भी नहीं और कफ़्फ़ारा भी नहीं हां अगर उसे पता था कि मैं झूटी क़सम खा रहा हूं तो गुनहगार होगा मगर कफ़्फ़ारा नहीं है, और अगर इस ने **आयन्दा के लिये** किसी काम के करने या न करने की **क़सम** खाई तो अगर वोह क़सम पूरी कर देता है फ़बिहा (या'नी ख़ूब बेहतर) वरना **कफ़्फ़ारा** देना होगा और बा'ज़ सूरतों में क़सम तोड़ने की वजह से गुनहगार भी होगा। (इन सूरतों की तफ़्सील आगे आ रही है)

झूटी क़सम खाना गुनाहे कबीरा है

रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने आ़लीशान है : "**अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ के साथ शिर्क करना, वालिदैन की ना फ़रमानी करना, किसी जान को क़त्ल करना और **झूटी क़सम** खाना कबीरा गुनाह हैं।" **(بُخاری ج٤ص٢٩٥حدیث٦٦٧٥)**

सब से पहले झूटी क़सम शैत़ान ने खाई

ह़ज़रते सय्यिदुना **आदम सफ़िय्युल्लाह** عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام को सज्दा न करने की वजह से शैत़ान मरदूद हुवा था लिहाज़ा वोह आप عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام को नुक़्सान पहुंचाने की ताक में रहा। **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ने ह़ज़राते सय्यिदैना **आदम व ह़व्वा** عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام وَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا से फ़रमाया कि जन्नत में रहो और जहां दिल करे बे रोक टोक खाओ अलबत्ता इस "दरख़्त" के क़रीब न जाना। शैत़ान ने किसी त़रह़ ह़ज़राते सय्यिदैना **आदम व ह़व्वा** عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام وَرَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا

के पास पहुंच कर कहा कि मैं तुम्हें "**श-जरे ख़ुल्द**" बता दूं, ह़ज़रते सय्यिदुना **आदम सफ़िय्युल्लाह** عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ने मन्अ़ फ़रमाया तो शैत़ान ने **क़सम** खाई कि मैं तुम्हारा ख़ैर ख़्वाह (या'नी भलाई चाहने वाला) हूं । इन्हें ख़याल हुवा कि **अल्लाह** पाक की झूटी क़सम कौन खा सकता है ! येह सोच कर ह़ज़रते सय्यि-दतुना **ह़व्वा** رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا ने इस में से कुछ खाया फिर ह़ज़रते सय्यिदुना **आदम सफ़िय्युल्लाह** عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام को दिया उन्हों ने भी खा लिया । (مُلَخَّص از تفسیر عبدالرزاق ج۲ ص۷۶) जैसा कि पारह 8 **सू-रतुल आ'राफ़** की आयत 20 और 21 में इर्शाद होता है :

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُۥرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ۝ وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ۝

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : फिर शैत़ान ने उन के जी में ख़त़रा डाला कि उन पर खोल दे उन की शर्म की चीज़ें जो उन से छुपी थीं और बोला : तुम्हें तुम्हारे रब ने इस पेड़ से इसी लिये मन्अ़ फ़रमाया है कि कहीं तुम दो फ़िरिश्ते हो जाओ या हमेशा जीने वाले और उन से **क़सम** खाई कि मैं तुम दोनों का ख़ैर ख़्वाह हूं ।

सदरुल अफ़ाज़िल ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना सय्यिद मुह़म्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْهَادِى तफ़्सीरे **ख़ज़ाइनुल इरफ़ान** में लिखते हैं : मा'ना येह हैं कि इब्लीसे मल्ऊ़न ने झूटी क़सम खा कर ह़ज़रते (सय्यिदुना) आदम (عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) को धोका दिया

और **पहला झूटी क़सम खाने वाला इब्लीस ही है,** ह़ज़रते आदम (عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) को गुमान भी न था कि कोई **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की क़सम खा कर झूट बोल सकता है, इस लिये आप ने उस की बात का ए'तिबार किया ।

किसी का ह़क़ मारने के लिये झूटी क़सम खाने वाला जहन्नमी है

रसूले करीम, रऊफ़ुर्रह़ीम عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَالتَّسْلِيْم का फ़रमाने अ़ज़ीम है : जो क़सम खा कर किसी मुसल्मान का ह़क़ मार ले **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ उस के लिये जहन्नम वाजिब कर देता और उस पर जन्नत ह़राम फ़रमा देता है । अ़र्ज़ की गई : **या रसूलल्लाह** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم ! अगर्चे वोह थोड़ी सी चीज़ ही हो ? इर्शाद फ़रमाया : "अगर्चे **पीलू** की शाख़ ही हो ।" ((مُسلِم ص۸۲ حدیث ۲۱۸-(۱۳۷)) **पीलू** एक दरख़्त है जिस की शाख़ और जड़ से मिस्वाक बनाते हैं ।

झूटी क़सम खाने वाले के ह़श्र में हाथ पाउं कटे हुए होंगे

एक **ह़ज़रमी** (या'नी **मुल्के यमन** के शह़र "**ह़ज़्र मौत**" के बाशिन्दे) और एक **किन्दी** (या'नी क़बीलए **किन्दा** से वाबस्ता एक शख़्स) ने मदीने के ताजवर صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم की बारगाहे अन्वर में **यमन** की एक ज़मीन के **मु-तअ़ल्लिक़** अपना झगड़ा पेश किया, **ह़ज़रमी** ने अ़र्ज़ की : "**या रसूलल्लाह** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم ! मेरी ज़मीन इस के बाप ने छीन ली थी, अब वोह इस के क़ब्ज़े में है ।" तो नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم ने दरयाफ़्त फ़रमाया : "क्या तुम्हारे पास कोई गवाही है ?" अ़र्ज़ की : "नहीं, लेकिन मैं इस से क़सम लूंगा

कि **अल्लाह** की क़सम खा कर कहे कि वोह नहीं जानता कि वोह मेरी ज़मीन है जो इस के बाप ने ग़सब कर ली थी।" **किन्दी** क़सम खाने के लिये तय्यार हो गया तो रसूले अकरम, शहन्शाहे आदम व बनी आदम صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "जो (झूटी) क़सम खा कर किसी का माल दबाएगा वोह बारगाहे इलाही عَزَّوَجَلَّ में इस ह़ालत में पेश होगा कि **उस के हाथ पाउं कटे हुए होंगे।**" येह सुन कर **किन्दी** ने कह दिया कि येह ज़मीन उसी (या'नी ह़ज़रमी) की है।

(سُنَنِ ابوداؤد ج۳ ص۲۹۸ حدیث۳۲۴۴)

मुफ़स्सिरे शहीर ह़कीमुल उम्मत ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान عَلَیْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان इस ह़दीसे पाक के तह़त फ़रमाते हैं : سُبْحٰنَ الله ! येह है असर उस ज़बाने फ़ैज़ तरजुमान का कि दो कलिमात में उस (किन्दी) के दिल का ह़ाल बदल गया और सच्ची बात कह कर ज़मीन से ला दा'वा हो गया। (मिरआतुल मनाजीह़, जि. 5, स. 403)

सात ज़मीनों का हार

रिश्वतों के ज़रीए़ दूसरों की जगहों पर क़ब्ज़ा कर के इमारतें बनाने वालों, लोगों की त़रफ़ से ठेके पर मिली हुई ज़र-ई ज़मीनें दबा लेने वाले किसानों, वडेरों और ख़ाइन ज़मीन दारों को घबरा कर झटपट तौबा कर लेनी चाहिये और जिन जिन के हुक़ूक़ दबाए हैं वोह फ़ौरन अदा कर देने चाहिएं कि "मुस्लिम शरीफ़" में सरकारे नामदार صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने इब्रत निशान है : "जो शख़्स किसी की बालिश्त भर ज़मीन नाह़क़ त़ौर पर लेगा तो उसे क़ियामत के रोज़ सात ज़मीनों का त़ौक़ (या'नी हार) पहनाया जाएगा।" (صَحیح مُسلِم ص۸۶۹ حدیث ۱۶۱۰)

शारेए़ आ़म पर बिला ह़ाजते शर-ई रास्ता मत घेरिये

बा'ज़ लोग शारेए़ आ़म पर बिला ह़ाजत रास्ता घेर लेते हैं जिन में कई सूरतें लोगों के लिये सख़्त तक्लीफ़ का बाइ़स बनती हैं, म-सलन ﴾1﴿ बक़र ईद के दिनों में कुरबानी के जानवर बेचने या किराए पर रखने या ज़ब्ह़ करने के लिये बा'ज़ जगह बिला ज़रूरत पूरी पूरी गलियां घेर लेते हैं ﴾2﴿ रास्ते में तक्लीफ़ देह ह़द तक कचरा या मल्बा डालते, ता'मीरात के लिये ग़ैर ज़रूरी त़ौर पर बजरी और सरियों का ढेर लगा देते हैं और यूंही ता'मीरात के बा'द महीनों तक बचा हुवा सामान व मल्बा पड़ा रहता है ﴾3﴿ शादी व ग़मी की तक़रीबों, नियाज़ों वग़ैरा के मौक़ओ़ं पर गलियों में देगें पकाते हैं जिन से बा'ज़ अवक़ात ज़मीन पर गढ़े पड़ जाते हैं, फिर उन में कीचड़ और गन्दे पानी के ज़ख़ीरे के ज़रीए़ मच्छर पैदा होते और बीमारियां फैलती हैं ﴾4﴿ आ़म रास्तों में खुदाई करवा देते हैं मगर ज़रूरत पूरी हो जाने के बा वुजूद भरवा कर ह़स्बे साबिक़ हमवार नहीं करते ﴾5﴿ रिहाइश या कारोबार के लिये ना जाइज़ क़ब्ज़ा जमा कर इस त़रह़ जगह घेर लेते हैं कि लोगों का रास्ता तंग हो जाता है। इन सब के लिये लम्ह़ए फ़िक्रिय्या है।

दा'वते इस्लामी के इशाअ़ती इदारे **मक-त-बतुल मदीना** की मत़्बूआ़ 853 सफ़ह़ात पर मुश्तमिल किताब, "**जहन्नम में ले जाने वाले आ'माल** (जिल्द अव्वल)" सफ़ह़ा 816 पर इमाम इब्ने **ह़जर** मक्की शाफ़ेई عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللّٰہِ الْقَوِی कबीरा गुनाह नम्बर 215 में इस फ़े'ल (या'नी काम) को गुनाहे कबीरा क़रार देते हुए फ़रमाते हैं : "शारेए़ आ़म में ग़ैर शर-ई तसर्रुफ़ (मुदा-ख़लत) करना या'नी

ऐसा तसर्रुफ़ (या'नी दख़्ल देना या अ़मल इख़्तियार) करना जिस से गुज़रने वालों को सख़्त नुक़्सान पहुंचे'' इस का सबब बयान करते हुए तह़रीर करते हैं कि इस में लोगों की ईज़ा रसानी और ज़ुल्मन उन के ह़ुक़ूक़ का दबाना पाया जा रहा है। **फ़रमाने मुस्तफ़ा** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم **:** ''जिस ने एक बालिश्त ज़मीन ज़ुल्म के तौ़र पर ले ली क़ियामत के दिन सातों ज़मीनों से इतना ह़िस्सा तौ़क़ बना कर उस के गले में डाल दिया जाएगा।''

(صحیح بُخاری ج ۲ ص ۳۷۷ حدیث ۳۱۹۸)

झूटी क़सम घरों को वीरान कर छोड़ती है

झूटी क़सम के नुक़्सानात का नक़्शा खींचते हुए **मेरे** आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह **इमाम अह़मद रज़ा ख़ान** عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं **: झूटी क़सम** घरों को वीरान कर छोड़ती है (फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 6, स. 602) एक और मक़ाम पर लिखते हैं **:** झूटी क़सम गुज़श्ता बात पर दानिस्ता (या'नी जान बूझ कर खाने वाले पर अगर्चे) इस का कोई कफ़्फ़ारा नहीं, (मगर) इस की सज़ा येह है कि **जहन्नम के खौलते दरिया में ग़ोते दिया जाएगा।** (फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 13, स. 611) **मीठे मीठे इस्लामी भाइयो !** ज़रा ग़ौर कीजिये कि **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ जिस ने हमें पैदा किया, पूरी काएनात को तख़्लीक़ किया (या'नी बनाया), जिस पर हर हर बात ज़ाहिर है, कोई चीज़ उस से पोशीदा नहीं, ह़त्ता कि दिलों के भेद भी वोह ख़ूब जानता है, जो रह़मान व रह़ीम भी है और क़ह्हार व जब्बार भी है, उस रब्बुल अनाम का नाम ले कर **झूटी क़सम** खाना कितनी बड़ी नादानी की बात है और वोह भी दुन्या के किसी आ़रिज़ी (वक़्ती) फ़ाएदे या चन्द सिक्कों के लिये !

यहूदियों ने शाने मुस्त़फ़ा छुपाने के लिये झूटी क़सम खाई

यहूद के अह्बार (या'नी उ़-लमा) और इन के रईसों (या'नी सरदारों) **अबू राफ़ेअ़ व किनाना बिन अबिल हुक़ैक़** और **का'ब बिन अशरफ़** और **हुयय्यिबि अख़्त़ब** ने **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ का वोह अ़ह्द छुपाया जो सय्यिदे आ़लम, रसूले मोह़तरम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم पर ईमान लाने के **मु-तअ़ल्लिक़** इन से **तौरैत** शरीफ़ में लिया गया । वोह इस त़रह़ कि उन्हों ने इस को बदल दिया और इस की जगह अपने हाथों से कुछ का कुछ लिख दिया और **झूटी क़सम** खाई कि येह **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की त़रफ़ से है, येह सब कुछ उन्हों ने अपनी जमाअ़त के जाहिलों से रिश्वतें और मालो ज़र ह़ासिल करने के लिये किया । उन के बारे में येह आयते मुबा-रका नाज़िल हुई :

اِنَّ الَّذِیْنَ یَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَیْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِیْلًا اُولٰٓىٕكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ وَلَا یُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا یَنْظُرُ اِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ وَلَا یُزَكِّیْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ﴿۷۷﴾

(پ۳،ال عمرٰن :۷۷)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : जो **अल्लाह** के अ़ह्द और अपनी **क़समों** के बदले ज़लील दाम लेते हैं आख़िरत में उन का कुछ ह़िस्सा नहीं और **अल्लाह** न उन से बात करे, न उन की त़रफ़ नज़र फ़रमाए क़ियामत के दिन और न उन्हें पाक करे और उन के लिये दर्दनाक अ़ज़ाब है । (تفسیر خازن ج۱ ص۲۶۵)

नीली आंखों वाला मुनाफ़िक़

अ़ब्दुल्लाह बिन नब्तल (नामी एक) मुनाफ़िक़ (था) जो रसूले करीम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم की मजलिस में ह़ाज़िर रहता और

यहां की बात यहूद के पास पहुंचाता (था), एक रोज़ हुज़ूरे अक़्दस صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم दौलत सराए अक़्दस में तशरीफ़ फ़रमा थे, हुज़ूर صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : इस वक़्त एक आदमी आएगा जिस का दिल निहायत सख़्त और शैतान की आंखों से देखता है, थोड़ी ही देर बा'द **अ़ब्दुल्लाह बिन नब्तल** आया, उस की आंखें **नीली** थीं, हुज़ूर सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم ने उस से फ़रमाया : तू और तेरे साथी क्यूं हमें गालियां देते हैं ? वोह **क़सम** खा गया कि ऐसा नहीं करता और अपने यारों को ले आया, उन्हों ने भी **क़सम** खाई कि हम ने आप को गाली नहीं दी, इस पर येह आयते करीमा नाज़िल हुई :

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْؕ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْۙ وَ يَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۴﴾

(پ۲۸،مجادلة:۱٤)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : क्या तुम ने उन्हें न देखा जो ऐसों के दोस्त हुए जिन पर **अल्लाह** का ग़ज़ब है, वोह न तुम में से न उन में से, वोह दानिस्ता **झूटी क़सम** खाते हैं। (ख़ज़ाइनुल इरफ़ान)

जहन्नम में ले जाने का हुक्म होगा

मन्क़ूल है कि क़ियामत के दिन एक शख़्स को **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की बारगाह में खड़ा किया जाएगा, **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ उसे जहन्नम में ले जाने का हुक्म फ़रमाएगा। वोह अ़र्ज़ करेगा : **या अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! मुझे किस लिये जहन्नम में भेजा जा रहा है ? इर्शाद होगा : नमाज़ों को उन का वक़्त गुज़ार कर पढ़ने और मेरे नाम की **झूटी क़समें** खाने की वजह से।

(مُكَاشَفَةُ الْقُلُوب ص۱۸۹)

झूटी क़सम खाने वाले ताजिर के लिये दर्दनाक अ़ज़ाब है

ह़ज़रते सय्यिदुना अबू ज़र गिफ़ारी رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ से मरवी है कि **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ के मह़बूब, **दानाए गुयूब, मुनज़्ज़हुन अ़निल उ़यूब** صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : ''तीन शख़्स ऐसे हैं जिन से **अल्लाह** तआ़ला न कलाम फ़रमाएगा, न उन की त़रफ़ नज़रे करम फ़रमाएगा और न ही उन्हें पाक करेगा बल्कि उन के लिये दर्दनाक अ़ज़ाब है।'' आप رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ फ़रमाते हैं कि **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ के ह़बीब, ह़बीबे लबीब صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم ने येह बात तीन बार इर्शाद फ़रमाई तो मैं ने अ़र्ज़ की : वोह तो तबाहो बरबाद हो गए, वोह कौन लोग हैं ? इर्शाद फ़रमाया : ﴾1﴿ **तकब्बुर** से अपना तहबन्द लटकाने वाला और ﴾2﴿ एह़सान जतलाने वाला और ﴾3﴿ झूटी क़सम खा कर अपना माल बेचने वाला।

(صَحیح مُسلِم ص٦٧ حدیث١٧١(١٠٦))

झूटी क़सम से ब-र-कत मिट जाती है

इस रिवायत से ख़ुसूसन वोह ताजिर व दुकान दार ह़ज़रात इब्रत पकड़ें जो **झूटी क़समें** खा कर अपना माल फ़रोख़्त करते हैं, अश्या के उ़यूब (या'नी ख़ामियां) छुपाने और नाक़िस व घटिया माल पर ज़ियादा नफ़्अ़ कमाने की ख़ातिर पै दर पै **क़समें** खाए चले जाते हैं और इस में किसी क़िस्म की आ़र (या'नी शर्म व झिजक) मह़सूस नहीं करते, इन के लिये लम्ह़ए फ़िक्रिय्या है कि शफ़ीए़ रोज़े शुमार, दो आ़लम के मालिको मुख़्तार **बि इज़्ने** परवर दगार صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने इब्रत निशान है : **झूटी क़सम** से सौदा फ़रोख़्त हो जाता है और ब-र-कत मिट

जाती है। (كَنْزُ الْعُمّال ج١٦، ص٢٩٧حديث٤٦٣٧٦) एक और जगह फ़रमाया : "**क़सम** सामान बिकवाने वाली है और ब-र-कत मिटाने वाली है।"

(صَحیح بُخاری ج۲ص۱۵حدیث۲۰۸۷)

मुफ़स्सिरे शहीर ह़कीमुल उम्मत ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان इस ह़दीसे पाक के तह़त फ़रमाते हैं : ब-र-कत (मिट जाने) से मुराद आयन्दा कारोबार बन्द हो जाना हो या किये हुए ब्योपार में घाटा (या'नी नुक़्सान) पड़ जाना या'नी अगर तुम ने किसी को **झूटी क़सम** खा कर धोके से ख़राब माल दे दिया वोह एक बार तो धोका खा जाएगा मगर दोबारा न आएगा न किसी को आने देगा, या जो रक़म तुम ने उस से ह़ासिल कर ली उस में ब-र-कत न होगी कि **ह़राम** में बे ब-र-कती है।

(मिरआतुल मनाजीह़, जि. 4, स. 344)

ख़िन्ज़ीर नुमा मुर्दा

दा'वते इस्लामी के इशाअ़ती इदारे **मक-त-बतुल मदीना** का (32 सफ़ह़ात) पर मुश्तमिल रिसाला "कफ़न चोरों के इन्किशाफ़ात" में है : **एक** बार ख़लीफ़ा अ़ब्दुल मलिक के पास एक शख़्स घबराया हुवा ह़ाज़िर हुवा और कहने लगा : **आ़लीजाह !** मैं बेह़द गुनहगार हूं और जानना चाहता हूं कि आया मेरे लिये मुआ़फ़ी है या नहीं ? **ख़लीफ़ा** ने कहा : क्या तेरा गुनाह ज़मीन व आस्मान से भी बड़ा है ? उस ने कहा : बड़ा है। **ख़लीफ़ा** ने पूछा : क्या तेरा गुनाह लौह़ व क़लम से भी बड़ा है ? जवाब दिया : बड़ा है। पूछा : क्या तेरा गुनाह अ़र्श व कुर्सी से भी बड़ा है ? जवाब दिया : बड़ा है। **ख़लीफ़ा** ने कहा : भाई यक़ीनन तेरा गुनाह **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की रह़मत से तो बड़ा नहीं हो सकता। येह सुन कर उस के सीने में

थमा हुवा तूफ़ान आंखों के ज़रीए उमंड आया और वोह दहाड़ें मार मार कर रोने लगा। **ख़लीफ़ा** ने कहा : भई आख़िर पता भी तो चले कि तुम्हारा गुनाह क्या है ! इस पर उस ने कहा : **हुज़ूर !** मुझे आप को बताते हुए बेह़द नदामत हो रही है ताहम अ़र्ज़ किये देता हूं, शायद मेरी **तौबा** की कोई सूरत निकल आए। येह कह कर उस ने अपनी **दास्ताने वह़्शत निशान** सुनानी शुरूअ़ की। कहने लगा : आ़लीजाह ! मैं एक **कफ़न चोर** हूं, आज रात मैं ने **पांच क़ब्रों** से इ़ब्रत ह़ासिल की और तौबा पर आमादा हुवा। फिर उस ने पांच क़ब्रों के इ़ब्रत नाक अह़वाल सुनाए, एक **क़ब्र** का ह़ाल सुनाते हुए उस ने कहा : **कफ़न** चुराने की ग़रज़ से मैं ने जब **दूसरी क़ब्र** खोदी तो एक दिल हिला देने वाला मन्ज़र मेरी आंखों के सामने था ! क्या देखता हूं कि **मुर्दे का मुंह ख़िन्ज़ीर जैसा हो चुका है और वोह तौक़ व ज़न्जीर में जकड़ा हुवा है**। ग़ैब से आवाज़ आई : येह **झूटी क़समें** खाता और **ह़राम रोज़ी** कमाता था।

(ماخُوذ اَز تذکرۃ الواعظین ص۶۱۲)

दिल पर सियाह नुक्ता

ख़ा-तमुल मुर-सलीन, रह़मतुल्लिल आ़-लमीन صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने इ़ब्रत निशान है : "जो शख़्स **क़सम** खाए और उस में मच्छर के पर के बराबर झूट मिला दे तो वोह "क़सम" ता यौमे क़ियामत उस के दिल पर (सियाह) **नुक्ता** बन जाएगी।"

(اِتحاف السّادۃ للزّبیدی ج۹ ص۲۴۹)

क़सम सिर्फ़ सच्ची ही खाई जाए

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! लरज़ जाइये ! कांप उठिये !!

यक़ीनन **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ का अ़ज़ाब बरदाश्त नहीं हो सकेगा अगर माज़ी में **झूटी क़समें** खाई हैं तो उन से फ़ौरन से पेश्तर तौबा कर लीजिये और येह बात ख़ूब ज़ेह्न नशीन फ़रमा लीजिये कि अगर ब वक़्ते ज़रूरत क़सम खानी ही पड़े तो सिर्फ़ व सिर्फ़ **सच्ची क़सम** खाइये ।

मुसल्मान की क़सम का यक़ीन कर लेना चाहिये

अगर कोई मुसल्मान हमारे सामने किसी बात की **क़सम** खाए तो हुस्ने ज़न रखते हुए हमें उस की बात का यक़ीन कर लेना चाहिये, इमाम श-रफ़ुद्दीन न-ववी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى फ़रमाते हैं कि मुसल्मान भाई की **क़सम** का ए'तिबार करना और उस को पूरा करना **मुस्तहब** है बशर्ते कि उस में फ़ितने वग़ैरा का इम्कान न हो । **(شرح مسلم للنّووی ج١٤ ص٣٢)**

तूने चोरी नहीं की

ह़ज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ फ़रमाते हैं : **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ **के महबूब, दानाए ग़ुयूब, मुनज़्ज़हुन अ़निल उ़यूब** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने आ़लीशान है : (ह़ज़रते) **ईसा** इब्ने मरयम ने एक शख़्स को चोरी करते देखा तो उस से फ़रमाया : ''तूने चोरी की,'' वोह बोला : ''हरगिज़ नहीं उस की **क़सम** जिस के सिवा कोई मा'बूद नहीं'' तो (ह़ज़रते) ईसा ने फ़रमाया : मैं **अल्लाह** पर ईमान लाया और मैं ने अपने को आप झुटलाया । **(صحیح مُسلِم ص١٢٨٨ حدیث٢٣٦٨)**

मोमिन अल्लाह की झूटी क़सम कैसे खा सकता है !

अल्लाहु अक्बर ! देखा आप ने ! ह़ज़रते सय्यिदुना **ईसा रूहुल्लाह** عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ने **क़सम** खा लेने वाले के साथ कितना अ़ज़ीम

बरताव किया। **मुफ़स्सिरे शहीर ह़कीमुल उम्मत** ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان उस क़सम खाने वाले को छोड़ देने के **मु-तअ़ल्लिक़** ह़ज़रते सय्यिदुना **ईसा रूहुल्लाह** عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام के मुक़द्दस जज़्बात की अ़क्कासी करते हुए तह़रीर फ़रमाते हैं : या'नी इस **क़सम** की वजह से तुझे सच्चा समझता हूं कि मोमिन बन्दा **अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) की "झूटी क़सम" नहीं खा सकता, (क्यूं कि) उस के दिल में **अल्लाह** के नाम की ता'ज़ीम होती है, अपने **मु-तअ़ल्लिक़** ग़लत़ फ़हमी का ख़याल कर लेता हूं कि मेरी आंखों ने देखने में ग़-लत़ी की। (मिरआत, जि. 6, स. 623) **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ **की उन पर रह़मत हो और उन के सदक़े हमारी बे ह़िसाब मग़्फ़िरत हो।**

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تعالٰى عليه واٰله وسلَّم

कुरआन उठाना क़सम है या नहीं ?

कुरआने करीम की क़सम खाना, **क़सम** है, अलबत्ता सिर्फ़ कुरआने करीम उठा कर या बीच में रख कर या उस पर हाथ रख कर कोई बात करनी **क़सम** नहीं। "फ़तावा र-ज़विय्या" जिल्द 13 सफ़ह़ा 574 पर है : झूटी बात पर कुरआने मजीद की **क़सम** उठाना सख़्त अ़ज़ीम **गुनाहे कबीरा** है और सच्ची बात पर कुरआने अ़ज़ीम की क़सम खाने में ह़रज नहीं और ज़रूरत हो तो उठा भी सकता है मगर येह **क़सम** को बहुत सख़्त करता है, बिला ज़रूरते ख़ास्सा न चाहिये। नीज़ सफ़ह़ा 575 पर है : हां मुस्ह़फ़ (या'नी कुरआन) शरीफ़ हाथ में ले कर या उस पर हाथ रख कर कोई बात कहनी अगर लफ़्ज़न ह़ल्फ़ व क़सम के साथ न हो ह़ल्फ़े

शर-ई न होगा (या'नी क़ुरआने करीम को सिर्फ़ उठाने या उस पर हाथ रखने या उसे बीच में रखने को शरअ़न क़सम क़रार न दिया जाएगा) म-सलन कहे कि मैं क़ुरआने मजीद पर हाथ रख कर कहता हूं कि ऐसा करूंगा और फिर न किया तो (चूंकि क़सम ही नहीं हुई थी इस लिये) **कफ़्फ़ारा** न आएगा। وَاللّٰہُ تَعَالٰی اَعْلَم

दो इ़ब्रत नाक फ़तावा

﴾1﴿ शराबी ने क़ुरआन उठा कर क़सम खाई फिर तोड़ दी!!!

फ़तावा र-ज़विय्या जिल्द 13 सफ़ह़ा 609 पर एक शराबी के बारे में हुक्म दरयाफ़्त करते हुए कुछ इस त़रह़ पूछा गया है कि उस ने चार गवाहों के सामने **क़ुरआने करीम** उठा कर **क़सम** खाई कि आयन्दा शराब न पियूंगा मगर फिर पी ली। उस के तफ़्सीली **जवाब** के आख़िर में आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه फ़रमाते हैं : अगर उस ने क़ुरआन उठा कर क़ुरआन के नाम से क़सम खाई या **अल्लाह** तआ़ला के नाम से क़सम खाई और ज़बान से अदा भी की हो फिर क़सम तोड़ दी है तो उस पर कफ़्फ़ारा लाज़िम है। और अगर उस ने क़ुरआने मजीद उठा कर **क़सम** खाई है और बहुत सख़्त मुआ़-मला है कि क़ुरआन उठा कर उस ने इस की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करते हुए फिर से शराब नोशी की है जिस से क़ुरआने पाक की तौहीन तक मुआ़-मला पहुंचा और (उस ने) क़ुरआन के अ़ज़ीम ह़क़ की पामाली की है तो इस सख़्त कारवाई (या'नी जब कि लफ़्ज़े क़सम न कहा हो सिर्फ़ क़ुरआने करीम उठाया हो इस) पर **कफ़्फ़ारा** नहीं है बल्कि इस के लिये उस पर लाज़िम है कि फ़ौरन **तौबा** करे और उस बुरे फ़े'ल (या'नी शराब नोशी) को आयन्दा न करने का पुख़्ता क़स्द (या'नी पक्की निय्यत) करे वरना फिर

अल्लाह तआ़ला की त़रफ़ से दर्दनाक अ़ज़ाब और जहन्नम की आग का इन्तिज़ार करे । وَالْعِيَاذُبِاللّٰهِ تَعَالٰى (या'नी और इस से **अल्लाह** तआ़ला की पनाह) । और अगर ज़बान से **क़सम** अदा नहीं की बल्कि उसी क़ुरआन उठाने को क़सम क़रार दिया तो इस **क़सम** का वोही हुक्म है कि इस पर **कफ़्फ़ारा** नहीं बल्कि अ़ज़ाबे अलीम का इन्तिज़ार करे ।

﴾2﴿ झूटी क़सम खाने वाला जहन्नम के खौलते दरिया में ग़ोते दिया जाएगा

सुवाल : ख़ुदा की झूटी **क़सम** खाने पर क्या कफ़्फ़ारा देना चाहिये ? अगर एक ही वक़्त में कई मर्तबा **झूटी क़सम** ख़ुदा की खाए तो एक **कफ़्फ़ारा** दे या हर एक **क़सम** का अ़ला-ह़दा अ़ला-ह़दा ?

जवाब : झूटी क़सम गुज़श्ता बात पर दानिस्ता (या'नी जान बूझ कर खाई तो), उस का कोई **कफ़्फ़ारा** नहीं, इस (झूटी क़सम) की सज़ा येह है कि **जहन्नम के खौलते दरिया में ग़ोते दिया जाएगा ।** और आयन्दा (की) किसी बात पर **क़सम** खाई और वोह न हो सकी तो उस का **कफ़्फ़ारा** है, एक **क़सम** खाई हो तो एक और दस (खाई हों) तो दस । وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَم (या'नी और **अल्लाह** तआ़ला सब से ज़ियादा जानने वाला है)

ब कसरत क़सम खाने की मुमा-न-अ़त

रब्बे करीम عَزَّوَجَلَّ का पारह 2 **सू-रतुल ब-क़रह** की आयत 224 में फ़रमाने अ़ज़ीम है :

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और **अल्लाह** को अपनी क़समों का निशाना न बना लो ।

सदरुल अफ़ाज़िल ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना सय्यिद मुह़म्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِى इस आयत के तह़्त लिखते हैं : बा'ज़ मुफ़स्सिरीन (رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن) ने येह भी कहा है कि इस आयत से ब कसरत क़सम खाने की मुमा-न-अ़त साबित होती है ।

(حاشیۃُ الصّاوی ج۱ص۱۹۰)

ह़ज़रते सय्यिदुना इब्राहीम **न-ख़-ई** عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى फ़रमाते हैं : जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे बुज़ुर्ग **क़सम** खाने और वा'दा करने पर हमारी पिटाई करते थे । **(صحیح بُخاری ج ۲ص۵۱۶حدیث۳۶۵۱)**

तू झूटी क़समों से मुझ को सदा बचा या रब !
न बात बात पे खाऊं क़सम, ख़ुदा या रब !

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

"चुप रहो सलामत रहोगे" के पन्दरह ह़ुरूफ़ की निस्बत से क़सम के मु-तअ़ल्लिक़ 15 म-दनी फूल

दा'वते इस्लामी के इशाअ़ती इदारे **मक-त-बतुल मदीना** की मत़्बूआ़ 1182 सफ़ह़ात पर मुश्तमिल किताब "**बहारे शरीअ़त**" जिल्द **2** सफ़ह़ा 298 ता 311 और 319 से **क़सम और कफ़्फ़ारे** से **मु-तअ़ल्लिक़** 15 **म-दनी फूल** पेश किये जाते हैं,

(ज़रूरतन कहीं कहीं तसर्रुफ़ किया गया है)

बात बात पर क़सम नहीं खानी चाहिये

﴾1﴿ **क़सम** खाना जाइज़ है मगर जहां तक हो कमी बेहतर है और बात बात पर **क़सम** खानी न चाहिये और बा'ज़ लोगों ने **क़सम** को

तक्या कलाम बना रखा है (या'नी दौराने गुफ़्त-गू बार बार क़सम खाने की आ़दत बना रखी है) कि क़स्द व बे क़स्द (या'नी इरादतन और बिग़ैर इरादे के) ज़बान से (क़सम) जारी होती है और इस का भी ख़याल नहीं रखते कि बात सच्ची है या झूटी ! येह सख़्त मा'यूब (या'नी बहुत बुरी बात) है और ग़ैरे ख़ुदा की **क़सम** मक्रूह है और येह शरअ़न **क़सम** भी नहीं या'नी इस के तोड़ने से **कफ़्फ़ारा** लाज़िम नहीं ।

ग़-लती से क़सम खा ली तो ?

﴿2﴾ **ग़-लती** से **क़सम** खा बैठा म-सलन कहना चाहता था कि पानी लाओ या पानी पियूंगा और ज़बान से निकल गया कि "ख़ुदा की **क़सम** पानी नहीं पियूंगा" तो येह भी क़सम है अगर तोड़ेगा **कफ़्फ़ारा** देना होगा । (बहारे शरीअ़त, जि. 2, स. 300)

﴿3﴾ **क़सम** तोड़ना इख़्तियार से हो या दूसरे के मजबूर करने से, क़स्दन (या'नी जान बूझ कर) हो या भूलचूक से हर सूरत में **कफ़्फ़ारा** है बल्कि अगर बेहोशी या जुनून में **क़सम** तोड़ना हुवा जब भी **कफ़्फ़ारा** वाजिब है जब कि होश में **क़सम** खाई हो और अगर बेहोशी या जुनून (या'नी पागल पन) में **क़सम** खाई तो **क़सम** नहीं कि आ़क़िल होना शर्त़ है और येह आ़क़िल नहीं । (تبیین الحقائق ج۳ ص ۴۲۳)

ऐसे अल्फ़ाज़ जिन से क़सम नहीं होती

﴿4﴾ येह अल्फ़ाज़ **क़सम** नहीं अगर्चे इन के बोलने से **गुनहगार** होगा जब कि अपनी बात में झूटा है : अगर ऐसा करूं तो मुझ पर **अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) का ग़ज़ब हो । उस की ला'नत हो । उस का अ़ज़ाब हो । ख़ुदा का

क़ह्र टूटे। मुझ पर आस्मान फट पड़े। मुझे ज़मीन निगल जाए। मुझ पर ख़ुदा की मार हो। ख़ुदा की फिटकार हो। **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم की शफ़ाअ़त न मिले। मुझे ख़ुदा का दीदार न नसीब हो। मरते वक़्त कलिमा न नसीब हो। (فتاوٰی عالمگیری ج ٢ ص ٥٤)

क़सम की चार अक़्साम

﴾5﴿ बा'ज़ क़समें ऐसी हैं कि उन का पूरा करना ज़रूरी है, म-सलन किसी ऐसे काम के करने की **क़सम** खाई जिस का बिग़ैर **क़सम** (भी) करना ज़रूरी था या गुनाह से बचने की **क़सम** खाई (कि गुनाह से बचने की क़सम न भी खाएं तब भी गुनाह से बचना ज़रूरी ही है) तो इस सूरत में **क़सम** सच्ची करना ज़रूर है। म-सलन (कहा) ख़ुदा की **क़सम** ज़ोहर पढ़ूंगा या चोरी या ज़िना न करूंगा। (क़सम की) **दूसरी** (क़िस्म) वोह कि उस का तोड़ना ज़रूरी है म-सलन गुनाह करने या फ़राइज़ व वाजिबात (पूरे) न करने की **क़सम** खाई, जैसे **क़सम** खाई कि नमाज़ न पढ़ूंगा या चोरी करूंगा या मां बाप से कलाम (या'नी बातचीत) न करूंगा तो **क़सम** तोड़ दे। **तीसरी** वोह कि उस का तोड़ना मुस्तह़ब है म-सलन ऐसे अम्र (या'नी मुआ़-मले या काम) की क़सम खाई कि उस के ग़ैर (या'नी इ़लावा) में बेहतरी है तो ऐसी **क़सम** को तोड़ कर वोह करे जो बेहतर है। **चौथी** वोह कि मुबाह़ की **क़सम** खाई या'नी (जिस का) करना और न करना दोनों यक्सां है इस में **क़सम** का बाक़ी रखना अफ़्ज़ल है। (المبسوط للسرخسی ج٤ ص ١٣٣)

﴾6﴿ **अल्लाह** عَزَّ وَجَلَّ के जितने नाम हैं उन में से जिस नाम के साथ **क़सम** खाएगा **क़सम** हो जाएगी ख़्वाह बोलचाल में उस नाम के साथ **क़सम** खाते हों या नहीं। म-सलन **अल्लाह** (عَزَّ وَجَلَّ) की **क़सम**, ख़ुदा की

क़सम, रह़मान की **क़सम**, रह़ीम की **क़सम**, परवर दगार की **क़सम**। यूहीं ख़ुदा की जिस सिफ़त की **क़सम** खाई जाती हो उस की क़सम खाई, हो गई म-सलन ख़ुदा की इ़ज़्ज़तो जलाल की **क़सम**, उस की किब्रियाई (अ़-ज़मत, बड़ाई) की **क़सम**, उस की बुज़ुर्गी या बड़ाई की **क़सम**, उस की अ़-ज़मत की **क़सम**, उस की क़ुदरत व क़ुव्वत की **क़सम**, क़ुरआन की **क़सम**, **कलामुल्लाह** की **क़सम**। (فتاوٰی عالمگیری ج ۲ ص ۵۲)

﴾7﴿ इन अल्फ़ाज़ से भी **क़सम** हो जाती है : ह़ल्फ़ करता हूं। **क़सम** खाता हूं। मैं शहादत देता हूं। ख़ुदा को गवाह कर के कहता हूं। मुझ पर **क़सम** है। لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه मैं येह काम न करूंगा। (اَیضاً)

ऐसी क़सम जिन के तोड़ने में कुफ़्र का अन्देशा है

﴾8﴿ अगर येह काम करे या किया हो तो यहूदी है या नसरानी या काफ़िर या काफ़िरों का शरीक। मरते वक़्त ईमान नसीब न हो। बे ईमान मरे। काफ़िर हो कर मरे। और येह अल्फ़ाज़ बहुत सख़्त हैं कि अगर झूटी **क़सम** खाई या **क़सम** तोड़ दी तो बा'ज़ सूरत में **काफ़िर** हो जाएगा। जो शख़्स इस क़िस्म की झूटी **क़सम** खाए उस की निस्बत ह़दीस में फ़रमाया : "वोह वैसा ही है जैसा उस ने कहा।" या'नी यहूदी होने की **क़सम** खाई तो यहूदी हो गया। यूंही अगर कहा : "ख़ुदा जानता है कि मैं ने ऐसा नहीं किया है।" और येह बात उस ने झूट कही है तो अक्सर उ़-लमा के नज़्दीक **काफ़िर** है। (बहारे शरीअ़त, जि. 2, स. 301)

किसी चीज़ को अपने ऊपर ह़राम कर लेना

﴾9﴿ जो शख़्स किसी चीज़ को अपने ऊपर ह़राम करे म-सलन कहे कि **फ़ुलां चीज़ मुझ पर ह़राम है** तो इस कह देने से वोह शै ह़राम नहीं

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم : जिस के पास मेरा ज़िक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़ा तह़क़ीक़ वोह बद बख़्त हो गया । (ابن سنی)

होगी कि **अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) ने जिस चीज़ को ह़लाल किया उसे कौन ह़राम कर सके ? मगर (जिस चीज़ को अपने ऊपर ह़राम किया) उस के बरत्ने (या'नी इस्ति'माल करने) से **कफ़्फ़ारा** लाज़िम आएगा या'नी येह भी **क़सम** है । (تَبيِينُ الحقائق ج ٣ ص ٤٣٦) **तुझ से बात करना ह़राम है** येह (भी) यमीन (या'नी क़सम) है । बात करेगा तो **कफ़्फ़ारा** लाज़िम होगा । (فتاوٰی عالمگیری ج ٢ ص ٥٨)

ग़ैरे ख़ुदा की क़सम "क़सम" नहीं

﴾10﴿ ग़ैरे ख़ुदा की क़सम, "क़सम" नहीं म-सलन तुम्हारी क़सम । अपनी क़सम । तुम्हारी जान की क़सम । अपनी जान की क़सम । तुम्हारे सर की क़सम । अपने सर की क़सम । आंखों की क़सम । जवानी की क़सम । मां बाप की क़सम । औलाद की क़सम । मज़हब की क़सम । दीन की क़सम । इ़ल्म की क़सम । का'बे की क़सम । अ़र्शे इलाही की क़सम । **रसूलुल्लाह** की क़सम । (ایضاً ص ٥١)

﴾11﴿ ख़ुदा व रसूल की क़सम येह काम न करूंगा येह क़सम नहीं । (ایضاً ص ٥٧، ٥٨)

﴾12﴿ अगर येह काम करूं तो काफ़िरों से बदतर हो जाऊं (कहा) तो (येह) **क़सम** है और अगर कहा कि येह काम करे (या'नी करूं) तो काफ़िर को इस (या'नी मुझ) पर शरफ़ हो (या'नी फ़ज़ीलत हो) तो **क़सम** नहीं । (ایضاً ص ٥٨)

दूसरे के क़सम दिलाने से क़सम नहीं होती

﴾13﴿ दूसरे के **क़सम** दिलाने से क़सम नहीं होती म-सलन कहा : **तुम्हें ख़ुदा की क़सम येह काम कर दो** । तो इस कहने से (जिस से कहा) उस पर क़सम न हुई या'नी न करने से कफ़्फ़ारा लाज़िम

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : जिस ने मुझ पर दस मरतबा सुब्ह और दस मरतबा शाम दुरूदे पाक पढा उसे क़ियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। (مجمع الزوائد)

नहीं। एक शख़्स किसी के पास गया उस ने उठना चाहा उस ने कहा : ख़ुदा की **क़सम** न उठना और (जिस से कहा) वोह खड़ा हो गया तो उस क़सम खाने वाले पर कफ़्फ़ारा नहीं। (ایضاًص۵۹۔۶۰)

《14》 यहां एक क़ाइदा याद रखना चाहिये जिस का **क़सम** में हर जगह लिहाज़ ज़रूर है वोह येह कि **क़सम** के तमाम अल्फ़ाज़ से वोह मा'ना लिये जाएंगे जिन में अहले उ़र्फ़ इस्ति'माल करते हों म-सलन किसी ने **क़सम** खाई कि किसी मकान में नहीं जाएगा और मस्जिद में या का'बए मुअ़ज़्ज़मा में गया तो **क़सम** नहीं टूटी अगर्चे येह भी मकान हैं, यूं ही ह़म्माम में जाने से भी **क़सम** नहीं टूटेगी। (فتاوٰی عالمگیری ج ۲ ص ۶۸)

क़सम में निय्यत और ग़रज़ का ए'तिबार नहीं

《15》 **क़सम** में अल्फ़ाज़ का लिहाज़ होगा, इस का लिहाज़ न होगा कि इस **क़सम** से ग़रज़ क्या है या'नी उन लफ़्ज़ों के बोलचाल में जो मा'ना हैं वोह मुराद लिये जाएंगे **क़सम** खाने वाले की **निय्यत** और **मक़्सद** का ए'तिबार न होगा म-सलन **क़सम** खाई कि "फ़ुलां के लिये एक पैसे की कोई चीज़ नहीं ख़रीदूंगा" और एक रुपै की ख़रीदी तो **क़सम** नहीं टूटी ह़ालां कि इस कलाम से मक़्सद येह हुवा करता है कि न पैसे की ख़रीदूंगा न रुपै की मगर चूंकि लफ़्ज़ से येह नहीं समझा जाता लिहाज़ा इस का ए'तिबार नहीं या **क़सम** खाई कि "दरवाज़े से बाहर न जाऊंगा" और दीवार कूद कर या सीढ़ी लगा कर बाहर चला गया तो **क़सम** नहीं टूटी अगर्चे इस से मुराद येह है कि घर से बाहर न जाऊंगा।

(دُرِّمُختارو رَدُّالْمُحتارج۵ ص ۵۵۰)

इस ज़िम्न में ह़ज़रते सय्यिदुना इमामे आ'ज़म عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَكْرَم की एक

ह़िकायत सुनिये और झूमिये चुनान्चे

अन्डा न खाने की क़सम खा ली

एक शख़्स ने **क़सम** खाई कि **अन्डा** न खाऊंगा और फिर येह **क़सम** खाई कि जो चीज़ फ़ुलां शख़्स की जेब में है वोह ज़रूर खाऊंगा । अब देखा तो उस की जेब में **अन्डा** ही था । करोड़ों ह़-नफ़िय्यों के अ़ज़ीम पेश्वा ह़ज़रते सय्यिदुना इमामे आ'ज़म अबू ह़नीफ़ा رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيْه से पूछा गया तो फ़रमाया : उस अन्डे को किसी मुर्ग़ी के नीचे रख दे और जब चूज़ा निकल आए तो उसे भून कर खा ले या शोरबे में पका कर शोरबे समेत खा ले । (इस सूरत में **क़सम** पूरी हो जाएगी) (الخیرات الحسان ص۱۸۵) **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ **की उन पर रह़मत हो और उन के सदक़े हमारी बे ह़िसाब मग़्फ़िरत हो ।** اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تعالٰى عليه واٰله وسلَّم

क़सम के बा'ज़ अल्फ़ाज़

अगर वल्लाह बिल्लाह तल्लाह कहा तो तीन क़समें हुईं । बख़ुदा । क़सम से । ब ह़ल्फ़े शर-ई कहता हूं । **अल्लाह** को ह़ाज़िर नाज़िर जान कर कहता हूं । **अल्लाह** को समीअ़ बसीर जान कर कहता हूं । BY GOD येह सब क़सम के अल्फ़ाज़ हैं । ''**अल्लाह** को ह़ाज़िर नाज़िर जान कर कहता हूं'' इस त़रह़ कहने से क़सम तो हो जाएगी मगर **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ को ह़ाज़िर नाज़िर कहना मम्नूअ़ है ।

सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم की क़सम के अल्फ़ाज़

नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم अक्सर ''وَمُقَلِّبِ الْقُلُوب'' (या'नी क़सम है दिलों के बदलने वाले की) या ''وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِیَدِہٖ'' (या'नी

क़सम उस की जिस के दस्ते क़ुदरत में मेरी जान है) के अल्फ़ाज़ के साथ **क़सम** इर्शाद फ़रमाया करते थे जैसा कि ह़ज़रते सय्यिदुना इब्ने उ़मर (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا) से रिवायत है कि रसूले अकरम صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم ज़ियादा तर जो क़सम इर्शाद फ़रमाते थे वोह येह थी : وَمُقَلِّبِ الْقُلُوب यानी क़सम है दिलों को बदलने वाले की ।

(بُخاری ج٤ ص٢٧٨ حدیث٦٦١٧)

हुज़ूर صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم की क़सम खाना

दा'वते इस्लामी के इशाअ़ती इदारे **मक-त-बतुल मदीना** की मत़्बूआ़ 561 सफ़ह़ात पर मुश्तमिल किताब, ''**मल्फ़ूज़ाते आ'ला ह़ज़रत**'' के सफ़ह़ा 528 पर है कि मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن से अ़र्ज़ की गई : हुज़ूर (صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم) की **क़सम** खा कर ख़िलाफ़ करने से कफ़्फ़ारा लाज़िम आएगा या नहीं ? तो फ़रमाया : नहीं ।

(فتاوٰی عالمگیری ج٢ ص٥١)

बाप की क़सम खाना कैसा ?

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के **मह़बूब, दानाए ग़ुयूब, मुनज़्ज़हुन अ़निल उ़यूब** صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم ने ह़ज़रते सय्यिदुना उ़मर फ़ारूक़े आ'ज़म رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ को सुवारी पर चलते हुए मुला-ह़ज़ा फ़रमाया जब कि आप رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ अपने बाप की **क़सम** खा रहे थे । आप صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : ''**अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ तुम को **बाप की क़सम** खाने से मन्अ़ करता है, जो शख़्स क़सम खाए तो **अल्लाह**

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم : जिस ने मुझ पर दस मरतबा सुब्ह़ और दस मरतबा शाम दुरूदे पाक पढा उसे क़ियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। (مجمع الزوائد)

عَزَّوَجَلَّ की क़सम खाए या चुप रहे।" (صَحیح بُخاری ج٤ص٢٨٦حدیث ٦٦٤٦)

मुफ़स्सिरे शहीर ह़कीमुल उम्मत ह़ज़रते **मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान** عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان इस ह़दीसे पाक के तह़त फ़रमाते हैं : या'नी ग़ैरे ख़ुदा की **क़सम** खाने से मन्अ़ फ़रमाया गया। चूंकि अहले अ़रब उ़मूमन बाप दादों की **क़सम** खाते थे इस लिये इसी का ज़िक्र हुवा, ग़ैरे ख़ुदा की **क़सम** खाना मक्रूह है, (مرقاة المفاتیح ج٦ ص ٥٧٩) **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ से मुराद रब तआ़ला के ज़ाती व सिफ़ाती नाम हैं लिहाज़ा क़ुरआन शरीफ़ की क़सम खाना जाइज़ है कि क़ुरआन शरीफ़ **कलामुल्लाह** का नाम है और **कलामुल्लाह** सि-फ़ते इलाही है, क़ुरआने मजीद में ज़माना, इन्जीर, ज़ैतून वग़ैरा की क़समें इर्शाद हुई वोह शर-ई क़समें नहीं नीज़ येह अह़काम हम पर जारी हैं न कि रब तआ़ला पर। (मिरआत जि. 5, स. 194, 195)

क़सम में اِنْ شَآءَاللہ عَزَّوَجَلَّ कहा तो क़सम होगी या नहीं ?

फ़ु-क़हाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام फ़रमाते हैं : **क़सम** में اِنْ شَآءَاللہ عَزَّوَجَلَّ कहा तो उस का पूरा करना वाजिब नहीं बशर्ते कि اِنْ شَآءَاللہ عَزَّوَجَلَّ का लफ़्ज़ इस कलाम से **मुत्तसिल** (या'नी मिला हुवा) हो और अगर फ़ासिला हो गया म-सलन **क़सम** खा कर चुप हो गया या दरमियान में कुछ और बात की फिर اِنْ شَآءَاللہ عَزَّوَجَلَّ कहा तो **क़सम** बातिल न हुई। (دُرِّمُختار و رَدُّالْمُحتار ج ٥ ص ٥٤٨) ह़ज़रते सय्यिदुना **अ़ब्दुल्लाह** बिन उ़मर رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا से रिवायत है कि रसूले अकरम, **नूरे मुजस्सम**, शाहे आदम व बनी आदम صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : "जो शख़्स **क़सम** खाए और उस के साथ اِنْ شَآءَاللہ عَزَّوَجَلَّ कह ले तो ह़ानिस (या'नी क़सम तोड़ने वाला) न होगा।" (تِرمِذی ج٣، ص١٨٣حدیث ١٥٣٦)

मुफ़स्सिरे शहीर ह़कीमुल उम्मत ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان इस ह़दीसे पाक के तह़्त फ़रमाते हैं : या'नी क़सम से **मुत्तसिल** (या'नी फ़ौरन बा'द) कह दे اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ । ख़ुलासा येह है कि अगर वा'दे या क़सम से **मुत्तसिल** اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ कह दिया जाए तो उस के ख़िलाफ़ करने पर न गुनाह है न कफ़्फ़ारा । (मिरआतुल मनाजीह़, जि. 5, स. 201)

बड़ी बड़ी मूंछों वाला बद मआ़श

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! ह़ुसूले इ़ल्मे दीन के लिये दा'वते इस्लामी के सुन्नतों भरे इज्तिमाआ़त भी अहम ज़रीआ़ हैं, आप भी अपने शह्र में होने वाले हफ़्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाआ़त में शिर्कत कीजिये, इन इज्तिमाआ़त की ब-र-कत से कैसे कैसे बिगड़े हुए लोगों की ज़िन्दगी में म-दनी इन्क़िलाब बरपा हो गया, इस की एक झलक इस **म-दनी बहार** में मुला-ह़ज़ा कीजिये, चुनान्चे एक आ़लिम साह़िब जो कि दा'वते इस्लामी के मुबल्लिग़ हैं उन्हों ने बताया कि 1995 सि.ई. में एक शख़्स जिस पर कमो बेश 11 डकेतियों के केस थे जिन में एक क़त्ल का मुक़द्दमा भी शामिल है । एक साल जेल की सलाख़ों के पीछे भी रहा था । मह़-क-मए नह्र में मुला-ज़मत भी थी । तन-ख़्वाह 3000 थी मगर वोह ना जाइज़ ज़राएअ़ से म-सलन दरख़्त फ़रोख़्त कर के, चोरी का पानी वग़ैरा दे कर माहाना 10000 तक कर लेता । उस ने बड़ी बड़ी मूंछें रखी थीं, देखने वाले को उस से वह़्शत होती । एक रोज़ मैं ने **इन्फ़िरादी कोशिश** करते हुए उसे दा'वते इस्लामी के सुन्नतों भरे इज्तिमाअ़ की दा'वत पेश की मगर उस ने मेरी दा'वत टाल

दी, मैं ने हिम्मत नहीं हारी वक़्तन फ़ वक़्तन दा'वत पेश करता रहा । आख़िरे कार कमो बेश दो साल बा'द उस ने दा'वत क़बूल कर ली और वोह "**रिवॉल्वर**" के साथ इज्तिमाअ़ में शरीक हो गया । इत्तिफ़ाक़ से उस दिन मेरा ही बयान था जो कि जहन्नम के अ़ज़ाब के **मु-तअ़ल्लिक़** था । **जहन्नम की तबाह कारियां** सुन कर सख़्त सर्दियों का मौसिम होने के बा वुजूद **बद मआ़श** पसीने से शराबोर हो गया । बा'दे इज्तिमाअ़ वोह रोता जाता और कहता जाता : हाए ! मेरा क्या बनेगा ! मैं ने बहुत सारे गुनाह किये हैं । फिर वोह तीन दिन बुख़ार के आ़लम में रहा । उसे अपने गुनाहों का शिद्दत से एह़सास हो चुका था, उस ने तौबा कर ली और नमाज़ें भी पढ़ने लगा । **दूसरी** जुमा'रात उसे फिर इज्तिमाअ़ में शिर्कत की सआ़दत मिली और **जन्नत** के मौज़ूअ़ पर बयान सुन कर उस को ढारस मिली । आहिस्ता आहिस्ता उस पर **म-दनी रंग** चढ़ता चला गया । यहां तक कि वोह **दा'वते इस्लामी** के म-दनी माह़ोल से वाबस्ता हो गया । उस ने घर से T.V. निकाल बाहर किया । (क्यूं कि उस में सिर्फ़ गुनाहों भरे चेनल्ज़ ही देखे जाते थे, "म-दनी चेनल" शुरूअ़ न हुवा था) **दाढ़ी** और **सब्ज़ इ़मामा** सजाने की सआ़दत भी ह़ासिल कर ली । येह बयान देते वक़्त वोह दा'वते इस्लामी के म-दनी कामों में मश्ग़ूल तन्ज़ीमी त़ौर पर सूबाई सत़ह़ पर मजलिसे **ख़ुद्दामुल मसाजिद** की ज़िम्मेदारी पर फ़ाइज़ है ।

अगर चोर डाकू भी आ जाएंगे तो — सुधर जाएंगे गर मिला म-दनी माह़ोल
गुनहगारो आओ, सियह कारो आओ — गुनाहों को देगा छुड़ा म-दनी माह़ोल

(वसाइले बख़्शिश, स. 203)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

क़सम की ह़िफ़ाज़त कीजिये

दा'वते इस्लामी के इशाअ़ती इदारे **मक-त-बतुल मदीना** के मत़्बूआ़ तरजमे वाले पाकीज़ा क़ुरआन, ''**कन्ज़ुल ईमान मअ़ ख़ज़ाइनुल इरफ़ान**'' सफ़ह़ा 516 ता 517 पर पारह 14 **सू-रतुन्नह़ूल** आयत नम्बर 91 में इर्शादे रब्बुल इ़बाद है :

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَیْمَانَ بَعْدَ تَوْكِیْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَیْكُمْ كَفِیْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۹۱﴾

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और **अल्लाह** का अ़ह्द पूरा करो जब क़ौल बांधो और **क़समें** मज़बूत़ कर के न तोड़ो और तुम **अल्लाह** को अपने ऊपर ज़ामिन कर चुके हो, बेशक **अल्लाह** तुम्हारे काम जानता है ।

और पारह 7 **सू-रतुल माइदह** की आयत 89 में **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ फ़रमाता है :

وَاحْفَظُوْۤا اَیْمَانَكُمْ ؕ

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और अपनी क़समों की ह़िफ़ाज़त करो ।

सदरुल अफ़ाज़िल ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना सय्यिद मुह़म्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْهَادِی तफ़्सीरे ''ख़ज़ाइनुल इरफ़ान'' में इस आयत के तह़्त लिखते हैं : या'नी इन्हें पूरा करो अगर इस में शरअ़न कोई ह़रज न हो और येह भी ह़िफ़ाज़त है कि **क़सम** खाने की आ़दत तर्क की जाए ।

बेहतर काम करने के लिये क़सम तोड़ना

ह़ज़रते सय्यिदुना अ़दी बिन ह़ातिम رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ फ़रमाते हैं कि मेरे पास एक शख़्स 100 दिरहम मांगने आया, मैं ने नाराज़ होते हुए कहा : तुम मुझ से सिर्फ़ 100 दिरहम मांग रहे हो ह़ालां कि मैं ह़ातिम

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّی اللہ تعالٰی علیہ و اٰلہٖ وسلَّم : जिस के पास मेरा ज़िक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़ा तह़क़ीक़ वोह बद बख़्त हो गया । (ابن سنی)

(ता़ई) का बेटा हूं, **अल्लाह** की **क़सम !** मैं तुम्हें नहीं दूंगा । फिर मैं ने कहा : अगर मैं ने **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم का येह इर्शादे पाक न सुना होता कि "जिस शख़्स ने किसी काम की **क़सम** खाई फिर उस ने इस से बेहतर चीज़ का ख़याल किया तो वोह उस बेहतर काम को करे ।" चुनान्चे मैं तुम्हें 400 दिरहम दूंगा । (صَحیح مُسلِم ص۸۹۹ حدیث۱۶۵۱)

बेहतर काम के लिये क़सम तोड़ना जाइज़ है मगर कफ़्फ़ारा देना होगा

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! बेहतर काम के लिये **क़सम** तोड़ने की इजाज़त ज़रूर है मगर तोड़ने के बा'द **कफ़्फ़ारा** देना होता है जैसा कि ह़ज़रते सय्यिदुना **अबुल अह़्वस** औ़फ़ इब्ने मालिक رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا अपने वालिद से रिवायत फ़रमाते हैं : मैं ने अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह** صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم ! फ़रमाइये कि मैं अपने चचाज़ाद भाई के पास कुछ मांगने जाता हूं तो वोह मुझे नहीं देता, न सिलए रेह़मी करता है, फिर इसे (जब) मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मेरे पास आता है, मुझ से कुछ मांगता है । मैं **क़सम** खा चुका हूं कि न इसे कुछ दूंगा न सिलए रेह़मी करूंगा । तो मुझे हुज़ूर सरापा नूर صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم ने हुक्म दिया कि जो काम अच्छा है वोह करूं और अपनी क़सम का **कफ़्फ़ारा** दे दूं ।

(سُنَنِ نَسائی ص۶۱۹ حدیث ۳۷۹۳)

ज़ुल्मन ईज़ा देने की क़सम खा ली तो क्या करे ?

अगर किसी को ज़ुल्मन ईज़ा देने की **क़सम** खाई तो इस क़सम का पूरा करना गुनाह है । इस क़सम के बदले **कफ़्फ़ारा** देना होगा । चुनान्चे बुख़ारी शरीफ़ में है, रह़मते आ़लम, **नूरे मुजस्सम** صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم का फ़रमाने मुअ़ज़्ज़म है : अगर कोई शख़्स अपने अह्ल के **मु-तअ़ल्लिक़**

उस को अज़िय्यत और ज़रर (या'नी नुक़्सान) पहुंचाने के लिये **क़सम** खाए पस बख़ुदा उस को ज़रर देना और क़सम को पूरा करना **इन्दल्लाह** (या'नी **अल्लाह** के नज़्दीक) ज़ियादा गुनाह है इस से कि वोह उस **क़सम** के बदले कफ़्फ़ारा दे जो **अल्लाह** तआ़ला ने उस पर मुक़र्रर फ़रमाया है।

(بُخاری ج٤ص ٢٨١ حديث٦٦٢٥, फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 13, स. 549)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان इस ह़दीसे पाक के तह़्त फ़रमाते हैं : या'नी जो शख़्स अपने घर वालों में से किसी का ह़क़ फ़ौत (या'नी ह़क़ त-लफ़्फ़ी) करने पर **क़सम** खा ले म-सलन येह कि मैं अपनी मां की ख़िदमत न करूंगा या मां बाप से बातचीत न करूंगा, ऐसी **क़समों** का पूरा करना गुनाह है। इस पर वाजिब है कि ऐसी **क़समें** तोड़े और घर वालों के ह़ुक़ूक़ अदा करे, ख़याल रहे यहां येह मत़लब नहीं कि येह **क़सम** पूरी न करना भी गुनाह मगर पूरी करना ज़ियादा गुनाह है बल्कि मत़लब येह है कि ऐसी **क़सम** पूरी करना बहुत बड़ा गुनाह है, पूरी न करना सवाब, कि अगर्चे रब तआ़ला के नाम की बे अ-दबी **क़सम** तोड़ने में होती है इसी लिये इस पर **कफ़्फ़ारा** वाजिब होता है मगर यहां **क़सम** न तोड़ना ज़ियादा गुनाह का मूजिब है। (मिरआतुल मनाजीह़, जि. 5, स. 198 मुलख़्ख़सन)

त़लाक़ की क़सम खाना, खिलाना कैसा ?

किसी से त़लाक़ की **क़सम** लेना मुनाफ़िक़ का त़रीक़ा है म-सलन किसी से कहना : "**क़सम** खाओ कि फ़ुलां काम मैं ने किया हो तो मेरी बीवी को त़लाक़।" चुनान्चे मेरे आक़ा, आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن "**फ़तावा र-ज़विय्या**" जिल्द 13 सफ़ह़ा 198 पर ह़दीसे पाक नक़्ल करते हैं : मोमिन त़लाक़ की **क़सम** नहीं खाता और त़लाक़ की **क़सम** नहीं लेता मगर मुनाफ़िक़। (ابنِ عَساكِر ج ٥٧ ص٣٩٣)

क़सम का कफ़्फ़ारा

दा'वते इस्लामी के इशाअ़ती इदारे **मक-त-बतुल मदीना** के मत़्बूआ़ तरजमे वाले पाकीज़ा कुरआन, **''कन्ज़ुल ईमान मअ़ ख़ज़ाइनुल इरफ़ान''** सफ़ह़ा 235 पर पारह 7 **सू-रतुल माइदह** की आयत नम्बर 89 में इर्शादे रब्बुल इ़बाद है :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْۤ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗۤ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ؕ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ؕ وَاحْفَظُوْۤا اَيْمَانَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

(پارہ ۷، المائدۃ آیت ۸۹)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ता तुम्हारी ग़लत़ फ़ह्मी की क़समों पर हां उन क़समों पर गिरिफ़्त फ़रमाता है जिन्हें तुम ने मज़बूत़ किया, तो ऐसी क़सम का बदला दस मिस्कीनों को खाना देना अपने घर वालों को जो खिलाते हो उस के औसत़ में से या इन्हें कपड़े देना या एक बरदह (ग़ुलाम) आज़ाद करना, तो जो इन में से कुछ न पाए तो तीन दिन के रोज़े येह बदला है तुम्हारी क़समों का, जब क़सम खाओ और अपनी क़समों की हिफ़ाज़त करो । इसी त़रह़ **अल्लाह** तुम से अपनी आयतें बयान फ़रमाता है कि कहीं तुम एह़सान मानो ।

"या रह़मतल्लिल आ़-लमीन" के तेरह हुरूफ़ की निस्बत से क़सम के कफ़्फ़ारे के 13 म-दनी फूल

कफ़्फ़ारे के लिये क़सम की शराइत़

﴾1﴿ **क़सम** के लिये चन्द शर्तें हैं, कि अगर वोह न हों तो

कफ़्फ़ारा नहीं। क़सम खाने वाला (1) मुसल्मान (2) आ़क़िल (3) बालिग़ हो। काफ़िर की **क़सम**, क़सम नहीं या'नी अगर ज़मानए कुफ़्र में **क़सम** खाई फिर मुसल्मान हुवा तो उस **क़सम** के तोड़ने पर **कफ़्फ़ारा** वाजिब न होगा। और مَعَاذَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ (या'नी **अल्लाह** की पनाह) **क़सम** खाने के बा'द मुरतद हो गया तो **क़सम** बातिल हो गई या'नी अगर फिर मुसल्मान हुवा और **क़सम** तोड़ दी तो **कफ़्फ़ारा** नहीं और (4) **क़सम** में येह भी शर्त़ है कि वोह चीज़ जिस की क़सम खाई अ़क़्लन मुम्किन हो या'नी हो सकती हो, अगर्चे मुह़ाले आ़दी हो और (5) येह भी शर्त़ है कि **क़सम** और जिस चीज़ की क़सम खाई दोनों को एक साथ कहा हो दरमियान में फ़ासिला होगा तो **क़सम** न होगी म-सलन किसी ने इस से कहलाया कि कह, ख़ुदा की **क़सम** ! इस ने कहा : ख़ुदा की क़सम ! उस ने कहा : कह, फ़ुलां काम करूंगा, इस ने कहा तो येह **क़सम** न हुई। (فتاوٰی عالمگیری ج ۲ ص ۵۱)

क़सम का कफ़्फ़ारा

﴿2﴾ ग़ुलाम आज़ाद करना या दस मिस्कीनों को खाना खिलाना या उन को कपड़े पहनाना है या'नी येह इख़्तियार है कि इन तीन बातों में से जो चाहे करे। (تَبیِینُ الحَقائق ج ۳ص ۴۳۰) (याद रहे ! जहां कफ़्फ़ारा है भी तो वोह सिर्फ़ आयन्दा के लिये खाई गई **क़सम** पर है, गुज़श्ता या मौजूदा के **मु-तअ़ल्लिक़** खाई हुई क़सम पर **कफ़्फ़ारा** नहीं। म-सलन कहा : "**ख़ुदा की क़सम** ! मैं ने कल एक भी गिलास ठन्डा पानी नहीं पिया।" अगर पिया था और याद होने के बा वुजूद **झूटी क़सम** खाई थी तो गुनहगार हुवा तौबा करे, **कफ़्फ़ारा** नहीं)

कफ़्फ़ारा अदा करने का त़रीक़ा

﴿3﴾ (दस) मसाकीन को दोनों वक़्त पेट भर कर खिलाना

होगा और जिन मसाकीन को सुब्ह़ के वक़्त खिलाया उन्हीं को शाम के वक़्त भी खिलाए, दूसरे दस मसाकीन को खिलाने से (कफ़्फ़ारा) अदा न होगा। और येह हो सकता है कि दसों को एक ही दिन (दोनों वक़्त) खिला दे या हर रोज़ एक एक को (दो वक़्त) या एक ही को दस दिन तक दोनों वक़्त खिलाए। और मसाकीन जिन को खिलाया उन में कोई बच्चा न हो और खिलाने में इबाह़त (खाने की इजाज़त दे देना) व तम्लीक (या'नी मालिक बना देना कि चाहे खाए चाहे ले जाए) दोनों सूरतें हो सकती हैं और येह भी हो सकता है कि खिलाने के इ़वज़ (या'नी बजाए) हर मिस्कीन को निस्फ़ (या'नी आधा) साअ़ गेहूं या एक साअ़ जव (एक साअ़ 4 किलो में से 160 ग्राम कम और निस्फ़ या'नी आधा साअ़ 2 किलो में से 80 ग्राम कम का होता है) या इन की क़ीमत का मालिक कर दे या दस रोज़ तक एक ही मिस्कीन को हर रोज़ ब क़-दरे **स-द-क़ए फ़ित्र** दे दिया करे या बा'ज़ को खिलाए और बा'ज़ को दे दे। ग़रज़ येह कि उस की (या'नी कफ़्फ़ारा अदा करने की) तमाम सूरतें वहीं से (या'नी **मक-त-बतुल मदीना** की मत़्बूआ़ बहारे शरीअ़त जिल्द 2 सफ़ह़ा 205 ता 217 पर दिये हुए (ज़िहार के) कफ़्फ़ारे के बयान से) मा'लूम करें फ़र्क़ इतना है कि वहां (या'नी ज़िहार के कफ़्फ़ारे में) साठ मिस्कीन थे (जब कि) यहां (या'नी क़सम के कफ़्फ़ारे में) दस हैं। (دُرِّمُختارو رَدُّالمُحتارج٥ ص ٥٢٣)

कफ़्फ़ारे के लिये निय्यत शर्त़ है

﴾4﴿ **कफ़्फ़ारा** अदा होने के लिये **निय्यत** शर्त़ है बिग़ैर निय्यत अदा न होगा हां अगर वोह शै जो मिस्कीन को दी और देते वक़्त निय्यत न की मगर वोह चीज़ अभी मिस्कीन के पास मौजूद है और अब निय्यत कर

ली तो अदा हो गया जैसा कि ज़कात में फ़क़ीर को देने के बा'द निय्यत करने में येही शर्त है कि हुनूज़ (या'नी अभी तक) वोह चीज़ फ़क़ीर के पास बाक़ी हो तो निय्यत काम करेगी वरना नहीं। (حاشیۃُ الطّحطاوی علی الدّرالمختارج۲ص ۱۹۸)

﴾5﴿ र-मज़ान में अगर **कफ़्फ़ारे** का खाना खिलाना चाहता है तो शाम और स-हरी दोनों वक़्त खिलाए या एक मिस्कीन को 20 दिन शाम का खाना खिलाए । (الجوهرة النیره ص ۲۵۳)

कफ़्फ़ारे में तीन रोज़ों की इजाज़त की सूरत

﴾6﴿ अगर गुलाम आज़ाद करने या 10 मिस्कीन को खाना या कपड़े देने पर क़ादिर न हो तो पै दर पै (या'नी लगातार) **तीन रोज़े** रखे । (اَیضاً)

कफ़्फ़ारा अदा करते वक़्त की हैसिय्यत का ए'तिबार है कि रोज़े रखे या.....

﴾7﴿ आ़जिज़ (या'नी मजबूर) होना उस वक़्त का मो'तबर है जब **कफ़्फ़ारा** अदा करना चाहता है म-सलन जिस वक़्त **क़सम** तोड़ी थी उस वक़्त मालदार था मगर **कफ़्फ़ारा** अदा करने के वक़्त (माली ए'तिबार से) मोह़ताज है तो रोज़े से **कफ़्फ़ारा** अदा कर सकता है और अगर (क़सम) तोड़ने के वक़्त मुफ़्लिस (व मिस्कीन) था और अब (कफ़्फ़ारा अदा करने के वक़्त) मालदार है तो रोज़े से (कफ़्फ़ारा) नहीं अदा कर सकता । (الجوهرة النیره ص ۲۵۳وغیرها)

कफ़्फ़ारे के तीनों रोज़े पै दर पै होना ज़रूरी हैं

﴾8﴿ एक साथ (अगर) तीन रोज़े न रखे या'नी दरमियान में फ़ासिला कर दिया तो **कफ़्फ़ारा** अदा न हुवा अगर्चे किसी मजबूरी

के सबब नाग़ा हुवा हो, यहां तक कि औरत को अगर हैज़ आ गया तो पहले के रोज़े का ए'तिबार न होगा या'नी अब पाक होने के बा'द (नए सिरे से) **लगातार तीन रोज़े** रखे । (دُرِّمُختار ج٥ ص٥٢٦)

रोज़ों से कफ़्फ़ारे की एक ज़रूरी शर्त़

﴾9﴿ रोज़ों से **कफ़्फ़ारा** अदा होने के लिये येह भी शर्त़ है कि ख़त्म तक (या'नी तीनों रोज़े मुकम्मल होने तक) माल पर क़ुदरत न हो म-सलन अगर दो रोज़े रखने के बा'द इतना माल मिल गया कि **कफ़्फ़ारा** अदा कर सकता है तो अब रोज़ों से (कफ़्फ़ारा अदा) नहीं हो सकता बल्कि अगर तीसरा रोज़ा भी रख लिया है और ग़ुरूबे आफ़्ताब से पहले माल पर क़ादिर हो गया तो **रोज़े नाकाफ़ी** हैं अगर्चे माल पर क़ादिर होना यूं हुवा कि उस के मूरिस (या'नी वारिस बनाने वाले) का इन्तिक़ाल हो गया और उस को तर्का (या'नी विर्सा) इतना मिलेगा जो **कफ़्फ़ारे** के लिये काफ़ी है। (دُرِّمُختار ج٥ ص٥٢٦)

कफ़्फ़ारे के रोज़े की निय्यत के दो अह़काम

﴾10﴿ इन रोज़ों में **रात से निय्यत** शर्त़ है और येह भी ज़रूर है कि **कफ़्फ़ारे** की निय्यत से हों मुत़्लक़ रोज़े की निय्यत काफ़ी नहीं । (مبسوط ج٤ ص١٦٦)

क़सम तोड़ने से पहले कफ़्फ़ारा दिया तो अदा न हुवा

﴾11﴿ **क़सम** तोड़ने से पहले **कफ़्फ़ारा** नहीं, और (अगर दे भी) दिया तो अदा न हुवा या'नी अगर **कफ़्फ़ारा** देने के बा'द **क़सम** तोड़ी तो अब फिर दे कि जो पहले दिया है वोह **कफ़्फ़ारा** नहीं, मगर फ़क़ीर

से दिये हुए को वापस नहीं ले सकता । (فتاوٰی عالمگیری ج ۲ ص ٦٤)

कफ़्फ़ारे का मुस्तहिक़ कौन ?

﴾12﴿ **कफ़्फ़ारा** उन्हीं मसाकीन को दे सकता है जिन को ज़कात दे सकता है या'नी अपने बाप, मां, औलाद वग़ैरहुम को जिन को ज़कात नहीं दे सकता **कफ़्फ़ारा** भी नहीं दे सकता । (دُرِّمُختار ج٥،ص٥٢٧) ﴾13﴿ **कफ़्फ़ारए क़सम** की क़ीमत मस्जिद में सर्फ़ (या'नी ख़र्च) नहीं कर सकता न मुर्दे के कफ़न में लगा सकता है या'नी जहां जहां ज़कात नहीं ख़र्च कर सकता वहां **कफ़्फ़ारे** की क़ीमत नहीं दी जा सकती । (عالمگیری ج ۲ ص ٦٢) (क़सम और कफ़्फ़ारे के बारे में तफ़्सीली मा'लूमात के लिये **दा'वते इस्लामी** के इशाअ़ती इदारे **मक-त-बतुल मदीना** की मत्बूआ़ 1182 सफ़ह़ात पर मुश्तमिल किताब **बहारे शरीअ़त** जिल्द **2** सफ़ह़ा 298 ता 311 का मुता-लआ़ ज़रूरी है)

दीनी या समाजी इदारे को कफ़्फ़ारे की रक़म देने का अहम मस्अला

अगर किसी दीनी या मुसल्मानों के समाजी इदारे को **कफ़्फ़ारे** की रक़म देना चाहे तो दे सकता है मगर बताना होगा कि येह कफ़्फ़ारे की रक़म है ताकि वोह उस रक़म को अलग रख कर उसे बयान कर्दा त़रीक़े पर काम में लाएं या'नी एक ही मिस्कीन को दस दिन तक दोनों वक़्त खिलाना या दस मसाकीन को दोनों वक़्त खिलाना वग़ैरा । अगर दीनी इदारा दीनी कामों में सर्फ़ करना चाहे तो ह़ीला करने का त़रीक़ा येह है, म-सलन एक ही मिस्कीन को रोज़ाना एक स-द-क़ए फ़ित्र या दस मिस्कीनों को एक ही दिन में एक एक स-द-क़ए फ़ित्र का मालिक बनाया जाए और वोह अपनी त़रफ़ से दीनी कामों के लिये पेश करें ।

तू झूटी क़सम से बचा या इलाही !

मुझे सच का आ़दी बना या इलाही !

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

वाह क्या बात है म-दनी तरबिय्यती कोर्स की !

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! झूटी क़समों से तौबा का जज़्बा पाने, बात बात पर क़सम खाने की ख़स्लत मिटाने, ज़रूरी दीनी मा'लूमात पाने और सुन्नतों पर अ़मल की आ़दत बनाने के लिये ''दा'वते इस्लामी'' के म-दनी माहोल में **63 दिन का म-दनी तरबिय्यती कोर्स** करवाया जाता है, जिस से बन पड़े वोह येह मुफ़ीद तरीन म-दनी तरबिय्यती कोर्स ज़रूर करे, आप की तरग़ीब व तहरीस के लिये एक **म-दनी बहार** पेश की जाती है, चुनान्चे एक इस्लामी भाई के बयान का ख़ुलासा है : हमारे अ़लाक़े का एक नौ जवान जो कि वालिदैन का इक्लौता (या'नी एक ही) बेटा था, ग़लत सोहबत के सबब **चरस** का आ़दी बन गया, घर से बाहर रहना उस का मा'मूल था, वालिद साहिब अक्सर उस को क़ब्रिस्तान जा कर चरसियों के दरमियान से उठा कर घर लाते । तमाम घर वाले उस के सबब परेशान थे । एक दिन एक इस्लामी भाई ने उस नौ जवान पर **इन्फ़िरादी कोशिश** करते हुए उसे **म-दनी तरबिय्यती कोर्स** करने की तरग़ीब दी, ख़ुश क़िस्मती से उस ने हामी भर ली और तब्लीग़े क़ुरआनो सुन्नत की आ़लमगीर ग़ैर सियासी तहरीक **दा'वते इस्लामी** के आ़लमी म-दनी मर्कज़ **फ़ैज़ाने मदीना** में आ गया । घर में ख़ुशी की लहर दौड़ गई ! सभी घर वाले दुआ़

कर रहे थे कि येह नेक बन जाए मगर अब भी डरे हुए थे कि कहीं येह वापस न आ जाए । اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ चन्द दिनों बा'द कुछ इस त़रह़ फ़ोन आया कि ''तरबिय्यती कोर्स और **फ़ैज़ाने मदीना** में बहुत मज़ा आ रहा है, **फ़ैज़ाने मदीना** में ऐसा लगता है कि **मदीनए मुनव्वरह** زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًاوَّتَعْظِيْمًا से बराहे रास्त फ़ैज़ आ रहा है, मैं ने अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर ली है, अब मैं बा जमाअ़त नमाज़ें अदा कर रहा हूं, सुन्नतें सीख रहा हूं और मुझे बहुत सुकून मिल रहा है।'' اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **म-दनी तरबिय्यती कोर्स** से वापसी पर वोह वाक़ेई बिल्कुल बदल चुका था । उस की ह़ैरत अंगेज़ तब्दीली से सब घर वाले बल्कि सारा मह़ल्ला ह़ैरान था । चेहरे पर नूर बरसाती दाढ़ी और सर पर सब्ज़ इ़मामा शरीफ़ का ताज जगमगा रहा था । उस ने आते ही घर वालों पर भी **इन्फ़िरादी कोशिश** शुरूअ़ कर दी जिस की ब-र-कत से वालिद साह़िब ने चेहरे पर **दाढ़ी** और सर पर **इ़मामा शरीफ़** का ताज सजा लिया और पाबन्दी से हफ़्तावार **सुन्नतों भरे इज्तिमाअ़** में शिर्कत फ़रमाने लगे । वालिदए मोह़तरमा ''दर्से निज़ामी'' और बहन ''शरीअ़त कोर्स'' करने के लिये कमर बस्ता हो गईं । उस नौ जवान के वालिद साह़िब ने मुबल्लिगे़ दा'वते इस्लामी को कुछ इस त़रह़ बताया कि मैं दा'वते इस्लामी वालों के लिये ब-र-कत की दुआ़ करता हूं, ख़ुसूसन उन के लिये जिन्हों ने मेरे बेटे पर ''इन्फ़िरादी कोशिश'' की और **63 दिन के म-दनी तरबिय्यती कोर्स** में हाथों हाथ ले गए क्यूं कि हम इस की आ़दतों से बहुत परेशान थे, इस की वालिदा तो इतनी बेज़ार हो चुकी थी कि एक दिन जज़्बात से मग़्लूब हो कर कीड़े मकोड़े मारने की दवाई उठा लाई कि या तो मैं खा कर मर जाऊंगी या इस को खिला कर मार दूंगी । अब इस की वालिदा रो रो कर दुआ़एं देती

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم **:** मुझ पर दुरूद शरीफ़ पढ़ो **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ तुम पर रहमत भेजेगा । (ابن عدی)

हैं कि **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ दा'वते इस्लामी वालों को सलामत रखे कि इन की कोशिशों से **मेरा बिगड़ा हुवा बेटा नेक बन गया ।**

अगर सुन्नतें सीखने का है जज़्बा तुम आ जाओ देगा सिखा म-दनी माहोल

तू दाढ़ी बढ़ा ले इ़मामा सजा ले नहीं है येह हरगिज़ बुरा म-दनी माहोल

(वसाइले बख़्शिश, स. 604)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

येह रिसाला पढ़ कर दूसरे को दे दीजिये

शादी ग़मी की तक़्रीबात, इज्तिमाआ़त, आ'रास और जुलूसे मीलाद वग़ैरा में **मक-त-बतुल मदीना** के शाएअ़ कर्दा रसाइल और म-दनी फूलों पर मुश्तमिल पेम्फ़लेट तक़्सीम कर के सवाब कमाइये, गाहकों को ब निय्यते सवाब तोह़फ़े में देने के लिये अपनी दुकानों पर भी रसाइल रखने का मा'मूल बनाइये, अख़्बार फ़रोशों या बच्चों के ज़रीए़ अपने मह़ल्ले के घर घर में माहाना कम अज़् कम एक अ़दद सुन्नतों भरा रिसाला या म-दनी फूलों का पेम्फ़लेट पहुंचा कर नेकी की दा'वत की धूमें मचाइये और ख़ूब सवाब कमाइये ।

त़ालिबे ग़मे मदीना व बक़ीअ़ व मग़्फ़िरत व बे ह़िसाब जन्नतुल फ़िरदौस में आक़ा का पड़ोस

18 शा'बानुल मुअज़्ज़म 1433 सि.हि.

ماخذ و مراجع

کتاب	مطبوعه	کتاب	مطبوعه
قرآن پاک	مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی	ابنِ عساکر	دار الفکر بیروت
ترجمۂ کنز الایمان	مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی	مبسوط	دار الکتب العلمیۃ بیروت
تفسیر خازن	مصر	تبیین الحقائق	دار الکتب العلمیۃ بیروت
حاشیۃ الصاوی علی الجلالین	دار الفکر بیروت	حاشیۃ الطحطاوی علی الدر المختار	کوئٹہ
تفسیر خزائن العرفان	مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی	درمختار	دار المعرفہ بیروت
بُخاری	دار الکتب العلمیۃ بیروت	جوہرہ نیرہ	باب المدینہ کراچی
مسلم	دار ابن حزم بیروت	فتاوٰی عالمگیری	دار الفکر بیروت
ابوداود	دار احیاء التراث العربی بیروت	فتاوٰی رضویہ	رضا فاؤنڈیشن مرکز الاولیاء لاہور
ترمذی	دار الفکر بیروت	مکاشفۃ القلوب	دار الکتب العلمیۃ بیروت
نسائی	دار الکتب العلمیۃ بیروت	بہارِ شریعت	مکتبۃ المدینہ باب المدینہ
شرح صحیح مسلم	دار الکتب العلمیۃ بیروت	اتحاف السادہ	دار الکتب العلمیہ بیروت
مراۃ المناجیح	ضیاء القرآن پبلی کیشنز مرکز الاولیاء لاہور	تذکرۃ الواعظین	پشاور
جمع الجوامع	دار الکتب العلمیۃ بیروت	وسائل بخشش	مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی

फ़ेहरिस्त

उ़न्वान	सफ़्हा	उ़न्वान	सफ़्हा
फ़िरिश्ते आमीन कहते हैं	1	ग़ैरे ख़ुदा की क़सम "क़सम" नहीं	23
क़सम की ता'रीफ़	2	दूसरे के क़सम दिलाने से क़सम नहीं होती	23
क़सम की तीन अक़्साम	3	क़सम में निय्यत और ग़रज़ का ए'तिबार नहीं	24
झूटी क़सम खाना गुनाहे कबीरा है	4	अन्डा न खाने की क़सम खा ली	25
सब से पहले झूटी क़सम शैतान ने खाई	4	क़सम के बा'ज़ अल्फ़ाज़	25
किसी का हक़ मारने के लिये झूटी क़सम खाने वाला जहन्नमी है	6	सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم की क़सम के अल्फ़ाज़	25
झूटी क़सम खाने वाले के हश्र में हाथ पाउं कटे हुए होंगे	6	हुज़ूर صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم की क़सम खाना	26
सात ज़मीनों का हार	7	बाप की क़सम खाना कैसा ?	26
शारेए आ़म पर रास्ता मत घेरिये	8	क़सम में اِنْ شَآءَاللّٰه कहा तो क़सम होगी या नहीं ?	27
झूटी क़सम घरों को वीरान कर छोड़ती है	9	बड़ी बड़ी मूंछों वाला बद मआ़श	28
शाने मुस्तफ़ा छुपाने के लिये झूटी क़सम खाई	10	क़सम की हिफ़ाज़त कीजिये	30
नीली आंखों वाला मुनाफ़िक़	10	बेहतर काम करने के लिये क़सम तोड़ना	30
जहन्नम में ले जाने का हुक्म होगा	11	बेहतर काम के लिये क़सम तोड़ना जाइज़ है मगर कफ़्फ़ारा	
झूटी क़सम खाने वाले ताजिर के लिये दर्दनाक अ़ज़ाब है	12	देना होगा	31
झूटी क़सम से ब-र-कत मिट जाती है	12	ज़ुल्मन ईज़ा देने की क़सम खा ली तो क्या करे ?	31
ख़िन्ज़ीर नुमा मुर्दा	13	त़लाक़ की क़सम खाना, खिलाना कैसा ?	32
दिल पर सियाह नुक्ता	14	क़सम का कफ़्फ़ारा	33
क़सम सिर्फ़ सच्ची ही खाई जाए	14	क़सम के कफ़्फ़ारे के 13 म-दनी फूल	33
मुसल्मान की क़सम का यक़ीन कर लेना चाहिये	15	कफ़्फ़ारे के लिये क़सम की शराइत़	33
तूने चोरी नहीं की	15	क़सम का कफ़्फ़ारा	34
मोमिन **अल्लाह** की झूटी क़सम कैसे खा सकता है !	15	कफ़्फ़ारा अदा करने का त़रीक़ा	34
क़ुरआन उठाना क़सम है या नहीं ?	16	कफ़्फ़ारे के लिये निय्यत शर्त़ है	35
दो इ़ब्रत नाक फ़तावा	17	कफ़्फ़ारे में तीन रोज़ों की इजाज़त की सूरत	36
शराबी ने क़ुरआन उठा कर क़सम खाई फिर तोड़ दी	17	कफ़्फ़ारा अदा करते वक़्त की हैसिय्यत का ए'तिबार है	36
झूटी क़सम खाने वाला जहन्नम के खौलते दरिया में ग़ोते दिया जाएगा	18	कफ़्फ़ारे के तीनों रोज़े पै दर पै होना ज़रूरी हैं	36
ब कसरत क़सम खाने की मुमा-न-अ़त	18	रोज़ों से कफ़्फ़ारे की एक ज़रूरी शर्त़	37
क़सम के मु-तअ़ल्लिक़ 15 म-दनी फूल	19	कफ़्फ़ारे के रोज़े की निय्यत के दो अह़काम	37
बात बात पर क़सम नहीं खानी चाहिये	19	क़सम तोड़ने से पहले कफ़्फ़ारा दिया तो अदा न हुवा	37
ग़-लत़ी से क़सम खा ली तो ?	20	कफ़्फ़ारे का मुस्तह़िक़ कौन ?	38
ऐसे अल्फ़ाज़ जिन से क़सम नहीं होती	20	दीनी या समाजी इदारे को कफ़्फ़ारे की रक़म देने का अहम मस्अला	38
क़सम की चार अक़्साम	21	वाह क्या बात है म-दनी तरबिय्यती कोर्स की !	39
ऐसी क़सम जिन के तोड़ने में कुफ़्र का अन्देशा है	22	मआख़िज़ व मराजेअ़	41
किसी चीज़ को अपने ऊपर ह़राम कर लेना	22		

हर सुब्ह़ येह निय्यत कर लीजिये

आज का दिन आंख, कान, ज़बान और हर उ़ज़्व को **गुनाहों** और फ़ुज़ूलियात से बचाते हुए, **नेकियों** में गुज़ारूंगा। اِنْ شَآءَاللّٰہ عَزَّوَجَلَّ

क़ियामत के रोज़ ह़सरत

फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم : सब से ज़ियादा ह़सरत क़ियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इ़ल्म ह़ासिल करने का मौक़अ़ मिला मगर उस ने ह़ासिल न किया और उस शख़्स को होगी जिस ने इ़ल्म ह़ासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ़्अ़ उठाया लेकिन इस ने न उठाया (या'नी उस इ़ल्म पर अ़मल न किया)।

(تاریخ دمشق لابن عَساکِر ج ۵۱ ص ۱۳۸ دارالفکر بیروت)

किताब के ख़रीदार मु-तवज्जेह हों

किताब की त़बाअ़त में नुमायां ख़राबी हो या सफ़ह़ात कम हों या बाइन्डिंग में आगे पीछे हो गए हों तो **मक-त-बतुल मदीना** से रुजूअ़ फ़रमाइये।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

सुन्नत की बहारें

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ तब्लीग़े कुरआनो सुन्नत की आलमगीर ग़ैर सियासी तहरीक **दा'वते इस्लामी** के महके महके म-दनी माहोल में ब कसरत सुन्नतें सीखी और सिखाई जाती है, हर जुमा'रात इशा की नमाज़ के बा'द आप के शहर में होने वाले दा'वते इस्लामी के हफ़्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाअ़ में रिज़ाए इलाही के लिये अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ सारी रात गुज़ारने की म-दनी इल्तिजा है। आशिक़ाने रसूल के **म-दनी क़ाफ़िलों** में ब निय्यते सवाब सुन्नतों की तरबिय्यत के लिये सफ़र और रोज़ाना फ़िक्रे मदीना के ज़रीए **म-दनी इन्आमात** का रिसाला पुर कर के हर म-दनी माह के इब्तिदाई दस दिन के अन्दर अन्दर अपने यहां के ज़िम्मेदार को जम्अ़ करवाने का मा'मूल बना लीजिये, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ इस की ब-र-कत से पाबन्दे सुन्नत बनने, गुनाहों से नफ़रत करने और **ईमान की हिफ़ाज़त** के लिये कुढ़ने का ज़ेहन बनेगा।

हर इस्लामी भाई अपना येह ज़ेहन बनाए कि **"मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ" अपनी इस्लाह की कोशिश के लिये **"म-दनी इन्आमात"** पर अमल और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिये **"म-दनी क़ाफ़िलों"** में सफ़र करना है। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

मक-त-बतुल मदीना की शाखें

मुम्बई : 19, 20, मुहम्मद अ़ली रोड, मांडवी पोस्ट ऑफ़िस के सामने, मुम्बई फ़ोन : 022-23454429
देहली : 421, मटिया महल, उर्दू बाज़ार, जामेअ़ मस्जिद, देहली फ़ोन : 011-23284560
नागपूर : ग़रीब नवाज़ मस्जिद के सामने, सैफ़ी नगर रोड, मोमिन पुरा, नागपूर : (M) 09373110621
अजमेर शरीफ़ : 19/216 फ़लाहे दारैन मस्जिद, नाला बाज़ार, स्टेशन रोड, दरगाह, अजमेर फ़ोन : 0145-2629385
हैदरआबाद : पानी की टंकी, मुग़ल पुरा, हैदरआबाद फ़ोन : 040-24572786
हुब्ली : A.J. मुद्दोल कोम्पलेक्स, A.J. मुद्दोल रोड, ओल्ड हुब्ली ब्रीज के पास, हुब्ली, कर्नाटक. फ़ोन : 08363244860

मक-त-बतुल मदीना®
दा'वते इस्लामी

सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने, तीन दरवाज़ा अहमदआबाद-1. गुजरात, इन्डिया
Mo.091 93271 68200 E-mail : maktabaahmedabad@gmail.com www.dawateislami.net